सत्यमेव जयते

# बिहार विधान सभा

की

# राजकीय आश्वासन समिति

का

# 360वाँ प्रतिवेदन

(स्वास्थ्य विभाग)

(दिनांक 23/07/2025 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

# विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | प्राक्कथन | क |
| 2. | राजकीय आश्वासन समिति के मा० सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची । | ख |
| 3. | आश्वासनों की सूची | ग |
| 4. | प्रतिवेदन | 1-19 |
| 5. | परिशिष्ट | 20-74 |

## प्राक्कथन

मैं सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 16 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 360वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 18 जुलाई, 2025 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधानमंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,

सभापति,

राजकीय आश्वासन समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

# बिहार विधान सभा सचिवालय

## बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2025–26 के माननीय सदस्यों की सूची --

**सभापति**

| | |
|---|---|
| 1. श्री दामोदर रावत | स०वि०स० |

**सदस्यगण**

| | |
|---|---|
| 1. श्री संजय कुमार गुप्ता | स०वि०स० |
| 2. श्री सुदर्शन कुमार | स०वि०स० |
| 3. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | स०वि०स० |
| 4. श्री गोपाल रविदास | स०वि०स० |
| 5. श्री उमाकांत सिंह | स०वि०स० |
| 6. श्री निशान्त प्रशांत | स०वि०स० |
| 7. श्री देवेश कान्त सिंह | स०वि०स० |
| 8. श्री इं० शशि भूषण सिंह | स०वि०स० |

## सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमती ख्याति सिंह | प्रभारी सचिव |
| 2. श्रीमती पूनम सिन्हा | उप सचिव |
| 3. श्री शिव शंकर प्रसाद | अवर सचिव |
| 4. श्री राजीव रंजन कुमार | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 5. श्री शक्ति कुमार प्रसाद | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी |
| 6. श्री राजीव रंजन III | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी |
| 7. श्रीमती सुषमा | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी |
| 8. श्री रामबाबू सिंह | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी |
| 9. श्री रवि शंकर | डाटा इंट्री ऑपरेटर |

दिनांक 18 जुलाई, 2025 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची

| क्रम सं० | आश्वासन सं० |
|---|---|
| 1 | 541/11 |
| 2 | 982/19 |
| 3 | 197/21 |
| 4 | 1155/21 |
| 5 | 1156/21 |
| 6 | 264/22 |
| 7 | 298/22 |
| 8 | 318/22 |
| 9 | 338/22 |
| 10 | 822/22 |
| 11 | 908/22 |
| 12 | 1565/22 |
| 13 | 2690/22 |
| 14 | 2713/22 |
| 15 | 2724/22 |
| 16 | 351/23 |

# प्रतिवेदन

## स्वास्थ्य विभाग

---

### आश्वासन संख्या 541/11

### प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1430 (द-144), दिनांक 18 मार्च, 2011 को (कार्यवाही से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्रीमती रंजु गीता, स०वि०स० ।

**विषय**—सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी के प्रा० स्वा० केन्द्र में चिकित्सक, दवा एवं चिकित्सा सुविधा की कमी को दूर करने के संबंध में।

### सरकारी आश्वासन

**श्रीमती रंजू गीता, (मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि वहां पर जो प्रभारी है वे नियमित रूप से रहे और सारी सुविधा जनहित को जन स्वास्थ्य को मिले और कबतक उपलब्ध होगी प्रभारी वहां पर निश्चित रूप से रहे और वहां पर दवा उपलब्ध हो।

**श्री अश्विनी कुमार चौबे, (मंत्री)**—महोदय, श्रीमती रंजू जी ने जो बात कही है महोदय, मैंने पहले कहा कि वहां कार्यरत है, प्राथमिक स्वा० केन्द्र, भली भांति वहां चल रहा है कुत्ता और सियार काटने की दवाई भी हाल में भेजी गयी है महोदय, मैंने इसका परीक्षण किया है फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो रंजू गीता जी के इन सवालों पर जरूर निश्चित रूप से ध्यान देकर गंभीरता से पूरा करेंगे।

**अध्यक्ष**—माननीय सदस्य का कहना है कि डॉक्टर वहां नहीं रहते हैं।

**श्री अश्विनी कुमार चौबे, (मंत्री)**—महोदय, डॉक्टर वहां जाते है और हाजरी उनकी वहां बनती है अगर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आने की मिल जायेगी तो ऐसे डॉक्टर पर हम कार्रवाई भी करेंगे महोदय।

**अध्यक्ष**—आप इसको देखवा लीजिये।

(ज्ञाप संख्या 541 वि०स०, पटना, दिनांक 4 मई, 2011 ई०) ।

### समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 541, दिनांक 4 मई, 2011 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 52 (12), दिनांक 27 जनवरी, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

### समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

## आश्वासन संख्या 982/19

### प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या (द-27) षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश-सत्र में दिनांक 19 जुलाई, 2019 को सदन पटल पर रखे गये तृतीय एवं चतुर्थ सत्र के प्रश्नोत्तरों की (मुद्रित पुस्तिका से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में अवस्थित अयोध्या शिवकुमारी, आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कर्मियों और तकनीशियनों की कमी की वजह से महाविद्यालय में रोगियों की भर्ती नहीं होती है जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में कर्मियों की भर्ती कराने का विचार रखती है ?

### सरकारी आश्वासन

**प्रभारी मंत्री**—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अयोध्या शिवकुमारी, आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, बेगूसराय में लगभग दो सौ रोगियों की चिकित्सा प्रतिदिन होती है।

(2) कर्मियों की कमी को प्राथमिकता के अनुसार दूर कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 982-वि०स०, पटना, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 ई०) ।

### समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 982, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 302 (आ०चि०), दिनांक 04 मार्च, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

### समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

## आश्वासन संख्या 197/21

### प्रसंग एवं विषय

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 17 (अ०सू०-09) दिनांक 26 फरवरी, 2021 की (कार्यवाही से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० ।

**विषय** (1) राज्य में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी हेतु Junior Resident का पद स्वीकृत है लेकिन B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद स्वीकृत नहीं है ;

(2) B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद नहीं रहने से दन्त चिकित्सक का लाभ आम जनता नहीं ले पा रहा है ;

(3) राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में B.D.S. डिग्रीधारी हेतु J.R. का पद स्वीकृत करने के संबंध में।

**सरकारी आश्वासन**

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)** महोदय, (1), (2) एवं (3) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में B.D.S. से उच्चतर योग्यता M.D.S. डिग्रीधारी सीनियर रेजिडेंट (S.R.) सहायक प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक डेंटिस्ट्री का पद स्वीकृत है, जिसके माध्यम से दन्त चिकित्सा का लाभ आम जनता को प्राप्त हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट (J.R.) का पद अनिवार्य नहीं है।

**श्री ललित कुमार यादव**--महोदय, सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिये जूनियर रेजिडेंट का पद होता है जबकि मेडिकल कॉलेज में भी सहायक प्राध्यापक-सह-प्राध्यापक होते हैं, तो B.D.S. छात्र के लियें J.R. का पद क्यों नहीं ? जहां तक सवाल नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) का सवाल है, NMC का कहना यह नहीं है कि अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है। लेकिन पद नहीं रहने के कारण J.R. का B.D.S. वाले के लिये भी स्वीकृत किया जाये। NMC यह नहीं कहता है कि अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, आप दे सकते हैं, नहीं, दे सकते हैं ।

**अध्यक्ष**--पूरक प्रश्न आपका क्या है ?

**श्री ललित कुमार यादव**--J.R. का पद मेडिकल कॉलेज में जैसे है, उसी तरह से B.D.S. महाविद्यालय में भी करना चाहते हैं या नहीं ?

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)**--महोदय, मैंने जवाब में स्पष्ट किया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट का पद अनिवार्य नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है तो हम विचार कर लेंगे।

(ज्ञाप संख्या 197 वि०स०, पटना, दिनांक 03 अगस्त, 2021 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 197, दिनांक 03 नवम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1231 (17), दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1155/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2626 (द 232) दिनांक 19 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से)।

**प्रश्नकर्ता**—श्री महबूब आलम, स०वि०स०।

**विषय**—(1) पटना स्थित पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 435 (17), दिनांक 21 जुलाई, 2017 को निर्धारित किया गया था। जिसमें वार्षिक वृद्धि पर निर्णय अलग से लेने की बात कही गयी थी। लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी वार्षिक मानदेय वृद्धि पर निर्णय नहीं लिया जा सका है ;

(2) बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उच्चस्तरीय कमिटी (चौधरी कमिटी) के अनुशंसाओं में भी वार्षिक मानदेय वृद्धि का प्रावधान है ;

(3) तो पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में संविदा पर नियुक्त उक्त कर्मियों का मानदेय का वार्षिक वृद्धि करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)** महोदय, मैं बता देता हूँ, महबूब साहब।

(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 325 (17), दिनांक 15 मार्च, 2021 के द्वारा संविदागत दंत चिकित्सकों के लिये चौधरी कमिटी की अनुशंसा लागू की जा चुकी है। वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये एक माह में लागू कर दी जायेगी।

**श्री महबूब आलम** महोदय, मेरा पूरक है। वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है मेरा एक पूरक है कि एरियर के साथ भुगतान करने का सरकार इरादा रखती है कि नहीं।

**अध्यक्ष** माननीय मंत्री।

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)** महोदय, जो अनुशंसा चौधरी कमिटी की लागू हुयी है उसके आलोक में चौधरी कमिटी की जो अनुशंसा होगी उस अनुशंसा का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1155-वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1155, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 753 (17), दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

### समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

----------

### आश्वासन संख्या 1156/21

### प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2627 (द-333), दिनांक 19 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० ।

**विषय**: (1) भोजपुर जिलान्तर्गत स्थित आरा सदर अस्पताल में मात्र एक ऑपरेशन थियेटर है तथा अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं का अभाव है ;

(2) आरा सदर अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में मात्र एक लैंप है तथा इमरजेंसी में ECG की व्यवस्था भी नहीं है ;

(3) तो अस्पताल में अतिरिक्त ऑपरेशन थियेटर बनाने, मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने तथा इमरजेंसी वार्ड ECG की व्यवस्था करने के संबंध में ।

### सरकारी आश्वासन

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल, आरा में वर्तमान में दो ऑपरेशन थियेटर हैं, एक सामान्य ऑपरेशन थियेटर तथा दूसरा परिवार कल्याण का ऑपरेशन थियेटर। सदर अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में ओ०टी० लैंप तथा इमरजेंसी लैंप उपलब्ध है। इमरजेंसी में कार्डिक मॉनिटर एवं ई०सी०जी० की सुविधा उपलब्ध है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री मनोज मंजिल महोदय, लेकिन यह जवाब फर्जी है।

अध्यक्ष क्या ?

**श्री मनोज मंजिल**—महोदय, ऑपरेशन थियेटर, मैं आपको बता दूं कि दो ऑपरेशन थियेटर वहां नहीं है, एक है ऑपरेशन थियेटर जिसमें डिलीवरी होती है ऑपरेशन से, गोली लगा उसी में, हर्निया का उसी में, किडनी, पीत की थैली का, स्टोन का ऑपरेशन उसी में, हड्डी का ऑपरेशन उसी में, हाइड्रोसिल का भी और एक तरफ उसी में महिला अर्द्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में पड़ी रहती है और उसी में पुरूष अर्द्धनग्न अवस्था में और नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं। यह मेरा सवाल है और वहां पर मेरी फोटो है, यह जो आप बोले हैं कि ओ०टी० लाइट है वहां ओ०टी० लाइट नहीं है, यहां सदन में जैसा बल्ब है न, वैसा भी बल्ब वहां पर नहीं है। महोदय, एक साधारण सा बल्ब लटका हुआ है नंगी तार में और इसलिये वहां बुनियादी सुविधा का अभाव है और यह जो आपका जवाब है मंत्री महोदय कि सेकेंड ऑपरेशन थियेटर है वह है केवल........

**अध्यक्ष**  चलिये, आपका सुझाव है ठीक है।

**श्री मनोज मंजिल**--और इमरजेंसी में वहां पर कार्डियेक मॉनिटर भी नहीं है महोदय, इमरजेंसी में कार्डियेक मॉनिटर और ई०सी०जी० मशीन भी नहीं है और जवाब दिया गया है कि है तो हम चाहेंगे कि आप समिति बनाकर इसको जाँच करवा लीजिये।

**अध्यक्ष**--माननीय मंत्री।

**श्री मंगल पाण्डेय, ( मंत्री )**--मैं इसको दिखवा लेता हूँ महोदय।

(ज्ञाप संख्या 1156-वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 1156, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 970 (12), दिनांक 05 नवम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

----------

**आश्वासन संख्या 264/22**

**प्रसंग एवं विषय**

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 23 (अ०सू०-06) दिनांक 04 मार्च, 2022 की (कार्यवाही से) ।

**प्रश्नकर्ता**--श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० ।

**विषय**--स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, 500 है तैनाती के इंतजार में" के आलोक में

(1) राज्य में विगत वर्ष अगस्त, 2021 में ह अलग-अलग तिथियों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई समाप्त कर चुके पाँच सौ से अधिक चिकित्सकों का स्वास्थ्य विभाग के नियमों के तहत पी०जी० चिकित्सकों की बंध पत्र आधारित अनिवार्य विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया लम्बित पड़ी हुयी है ;

(2) तो उक्त चिकित्सकों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित करने के संबंध में।

**सरकारी आश्वासन**

**श्री मंगल पाण्डेय, ( मंत्री )**  अध्यक्ष महोदय, (1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 450 (1), दिनाक 15 अप्रील, 2017 के अनुसार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बॉण्ड के तहत तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा लिया जाना है ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल माह दिसम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया ।

तदालोक में 312 पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को विभागीय आदेश संख्या 80 (17), दिनांक 23 फरवरी, 2022 द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में आवंटित किया गया है। शेष 138 चिकित्सकों के संस्थान आवंटन प्रक्रियागत है।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

**अध्यक्ष** उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये और पूरक संक्षिप्त में पूछिये। भूमिका में बहुत समय जाता है।

**श्री अरूण शंकर प्रसाद** एकदम संक्षिप्त में पूछ रहे हैं। महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में इसे अस्वीकारात्मक माना गया है। मेरा मानना है कि कहीं से भी यह प्रश्न अस्वीकारात्मक नहीं है। माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं परंतु विभाग ने इसको अस्वीकारात्मक क्यों लिखा है जबकि जो प्रश्न में है उसी का उत्तर भी है और उत्तर स्पष्ट भी है लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ महोदय कि जब 14 फरवरी को मैंने प्रश्न दिया, 23 फरवरी को इन्होंने 312 पी०जी० डिप्लोमाधारियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित कर दिया। 138 जो शेष उसमें बच गये हैं उसका माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रक्रियागत है तो यह प्रक्रिया कबतक समाप्त हो जायेगी, कबतक उसको चिकित्सा संस्थान मिल जायेगा क्योंकि मैंने प्रश्न में डाला था कि अगस्त में परीक्षा हो गया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और कहा कि दिसम्बर, 2021 को परीक्षाफल प्रकाशित हुआ। तदानुसार 312 छात्रों को 23 फरवरी, के पत्र के माध्यम से चिकित्सा संस्थान एलॉट हुआ तो 138 क्यों बच गया ? किन कारणों से शेष 138 बच गया और दूसरा, मेरा प्रश्न है इसी के साथ कि क्या उन छात्रों को जो मेरे प्रश्न में है उसको अमिट कर दिया गया है उसका उत्तर नहीं आया है कि वह छात्र परीक्षा के साथ ही अपने छात्रवृत्ति से वंचित हो गया और वह जो तीन महीने लगभग, बाकी अगस्त से लेकर अभीतक चार-पाँच महीने का जो उसकी छात्रवृत्ति की राशि है क्या उन छात्रों को मिलेगा ?

**अध्यक्ष** -माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)** महोदय, मैंने अपने जवाब में हर चीज को बहुत स्पष्टता से लिखा है। 312 लोगों की नियुक्ति हुयी, परीक्षा अगस्त में हुआ, परिणाम आया है दिसम्बर में, तो परिणाम आने के बाद ही नियुक्ति होगी न और नियुक्ति 312 करने के बाद 138 बचे हुये हैं यह जो पी०जी० की डिग्री प्राप्त करते हैं इसमें दो तरह के लोग होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लोग होते हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोग होते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोगों का जब पदस्थापन किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया भी अलग से अपनाई जाती है जो प्रक्रियाधीन है और अगले 15 दिनों में इनलोगों की भी नियुक्ति कर दी जायेगी। जो उन्होंने तीन महीना का विषय उठाया है उसको मैं दिखवा लेते हैं।

(ज्ञाप संख्या 264 वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

## समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 264, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित

आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1070 (17), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

**आश्वासन संख्या 298/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 519 (द 89) दिनांक 04 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

**प्रश्नकर्ता**- श्री सिद्धार्थ सौरव, स०वि०स० ।

**विषय**—क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना से हुये मृत्यु के पश्चात् आश्रित परिवारों को मुआवजा की राशि देने का प्रावधान किया गया है परन्तु पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित ग्राम-छोटी टेंगरैला, पोस्ट-अमरपुरा की लालशा देवी, पति-श्री राजू शर्मा की मृत्यु दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को IGIMS अस्पताल, शेखपुरा में एवं पंचायत सावरचक, ग्राम-अकबरपुर के काशीनाथ, पिता-स्वर्गीय बसगीत भगत की मृत्यु दिनांक 2 मई, 2021 को एवं बिहटा प्रखंड स्थित पंचायत लई, ग्राम-बभनलई के अजीत कुमार, पिता-श्री रमेश प्रसाद की मृत्यु दिनांक 10 मई, 2021 को सिविल अस्पताल, हिसार, हरियाणा में कोरोना से संक्रमित होने के कारण हो गया है, जिसका सत्यापन अंचलाधिकारी, सिविल सर्जन एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जाने के बावजूद आजतक उक्त आश्रित परिवारों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रितों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)**- स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत मामले में स्व० लालशा देवी, पति-राजू शर्मा ग्राम छोटी टेंगरैला, पोस्ट अमरपुरा, प्रखंड-नौबतपुर पटना एवं स्व० काशीनाथ पिता-स्व० बसगीत भगत पंचायत-सावरचक, ग्राम अकबरपुर के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान सत्यापनोपरांत 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

स्व० अजीत कुमार की मृत्यु राज्य से बाहर (हिसार) (हरियाणा) में हुयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं० 554/2021 में दिये गये न्यायादेश के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 3304/2020 NDAI, दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के द्वारा राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के Terms & norms के अन्तर्गत उनके निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान हरियाणा सरकार के द्वारा देय है। इसके लिये स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली से पत्रांक 164(11), दिनांक 3

मार्च, 2022 द्वारा समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ज्ञाप संख्या 298-वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 298, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1124 (12), दिनांक 21 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

**आश्वासन संख्या 318/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 557 (द-08) दिनांक 04 मार्च, 2022 को (सदन पटल) से ।

**प्रश्नकर्ता**— श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० ।

**विषय** (1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 958 (4), दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों का प्रत्येक तीन वर्ष पर स्थानांतरण करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 01/लो०स्था०) 22/2011, श्री अजय कुमार यादव बनाम सिविल सर्जन, सारण के वाद में माननीय लोकायुक्त, बिहार के द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों का प्रत्येक तीन वर्ष पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया है, किन्तु उपरोक्त आदेशों के बाद भी श्री आदित्य ज्योति श्रीवास्तव, लिपिक, श्री कौशलेन्द्र कुमार, लिपिक एवं अन्य कर्मी आर०डी०डी० कार्यालय, पटना में विगत पाँच सालों से अधिक समय से कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित कर्मियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)**--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। आगामी माह जून, 2022 में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक एक ही संस्थान में पदस्थापित लिपिकों का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 318-वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

## समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 318, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1459 (4), दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

## समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते-हुये निष्पादित किया गया ।

## आश्वासन संख्या 338/22

## प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 592 (द-112) दिनांक 04 मार्च, 2022 को (सदन पटल) से ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल सह-छात्रावास भवन बनकर तैयार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्कूल-सह-छात्रावास भवन का उद्घाटन नहीं होने के कारण सत्र का समय पर संचालन नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त भवन का उदघाटन कर सत्र का समय पर संचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सरकारी आश्वासन

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)** (1) स्वीकारात्मक है। ए०एन०एम० स्कूल बनमनखी पूर्णियां को 30 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्राप्त है। संस्थान के संचालन हेतु 03 ट्यूटर 01 लिपिक तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पदस्थापित/प्रतिनियुक्त है।

(2) कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुये उक्त स्कूल-सह-छात्रावास भवन को आईसोलेशन सेंटर बनाया गया है। चूँकि अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। अत: उक्त स्कूल का विधिवत उदघाटन कर सत्र का संचालन प्रारंभ किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 338-वि०स०, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2022 ई०) ।

## समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 338, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 618 (6), दिनांक 08 जुलाई, 2022 के द्वारा

कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

----------

**आश्वासन संख्या 822/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 1541 (द-67) दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्त्ता**—श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० ।

**विषय**—क्या यह बात सही है कि राज्य के एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों का मानदेय देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, परन्तु अद्यतन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान नहीं होता है, तो क्या सरकार एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों का मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

**श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री)**—वस्तुस्थिति यह है कि आयुर्वेद प्रक्षेत्र के अन्तर्गत एन०आर०एच०एम० के तहत नियोजित आर०बी०एस०के० चिकित्सकों को 21,000 (इक्कीस हजार) एवं मेन स्ट्रीम के तहत नियोजित चिकित्सकों को रु० 30,000 (तीस हजार) मानदेय निर्धारित था जिसे विभागीय आदेश ज्ञापांक 1577 (आ०चि०), दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाकर एलोपैथ प्रक्षेत्र के समान 44,000 (चौवालिस हजार) किया गया है। ये संविदागत नियोजन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत है। मानदेय वृद्धि की राशि राज्य सरकार द्वारा टॉप अप फंड के रूप में दी जा रही है। आयुष चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

(ज्ञाप संख्या 822 वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 822, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 786 (आ०चि०), दिनांक 18 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

## आश्वासन संख्या 908/22

### प्रसंग एवं विषय

सर्वश्री अरूण शंकर प्रसाद, अनिरूद्ध प्रसाद यादव एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिनांक 14 मार्च, 2022 को (कार्यवाही से)।

**विषय**—राज्य सरकार ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जाँच हेतु 10 करोड़ की लागत से अगमकुआं संयुक्त औषधि एवं खाद्य प्रयोगशाला में तीन आधुनिक मशीनें 6 माह पूर्व लगायी थी। छोटे सहायक उपकरणों की खरीद नहीं होने से तीनों मशीन बेकार पड़ी हुयी है। उक्त मशीनों के द्वारा खाद्य सामग्रियों में कीटनाशक रसायन, लौह व भारी धातु एवं पशु उत्पाद संबंधी मिलावट की जाँच मिनटों में हो जाती है। तीनों स्वचालित मशीनों से मिलावट की कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है। मशीन में एक साल तक रिपोर्ट सुरक्षित रहता है। सहायक उपकरणों के अभाव से मिलावट की जाँच के लिये एकत्र सैंपल को कोलकाता भेजा जाता है। रिपोर्ट आते-आते एक से दो माह का समय लग जाता है जिस कारण कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ का बाजार में प्रचलन बढ़ जाता है।

अतः उक्त बेकार पड़े मशीनों को चालू करवाने तथा खाद्य सामग्रियों की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

### सरकारी आश्वासन

**श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)**-महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सरकार जन-जन तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि से राज्य सरकार द्वारा संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला अगमकुआं, पटना अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि से तीन उच्चस्तरीय उपकरणों यथा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री और आइंडोटिकली कपिल प्लाजमा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अधिष्ठापन कराया गया है। शेष राशि लगभग 1 करोड़ 89 लाख मानव बल पर खर्च हेतु एवं लगभग 1 करोड़ 26 लाख उच्चस्तरीय मशीनों के रख-रखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी है। यह जी०सी०-एम०एस०/एम०एस० की सहायता से खाद्य पदार्थों में पेस्टीसाइड व वसा की मात्रा एल०सी०/एम०एस०/एम०एस० की सहायता से खाद्य पदार्थों में एंटी बॉयोटिक, माइक्रो टॉक्सिन, रंजक इत्यादि की मात्रा तथा आई०सी०पी०एम०एस० की सहायता से खाद्य पदार्थों में लेड, कैडमियम इत्यादि जैसे भारी धातुओं की जाँच की जाती है। राज्य सरकार उक्त उपकरणों के सफल संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाती रहती है। उक्त उपकरणों के संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप भवन के आधारभूत संरचना में सुधार, भवन का जीर्णोद्धार, प्रयोगशाला परिसर में उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन आदि कराया गया है। उक्त उपकरणों के संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप अनुभव प्राप्त तकनीकी मानव बलों की व्यवस्था भी की जा चुकी है। महोदय, राज्य की संयुक्त खाद्य औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआं को एन०ए०बी०एल० यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शीघ्र ही एन०ए०बी०एल० से मान्यता प्राप्त हो

जायेगी। महोदय, यहां यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच हेतु खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किया जायेगा। साथ ही, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआं, पटना में माइक्रोबॉयोलॉजी लैब की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे खाद्य पदार्थों में जीवाणु एवं कवक जैसे स्वास्थ्य के लिये हानिकारण सूक्ष्मजीवियों का भी पता लगाया जा सके। इस प्रकार राज्य सरकार का यह प्रयास है कि संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआं, पटना को विश्वस्तरीय खाद्य प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाये एवं राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो।

**श्री अरूण शंकर प्रसाद**--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि एफ०एस०एस०ए०आई० द्वारा 10 करोड़ की राशि इसके अधिष्ठापन के लिये दिया गया, लेकिन तीन छोटी छोटी मशीन नहीं लगने के कारण अभीतक यह फंक्शनिंग नहीं हुआ और बिहार में दूसरी कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु कोई ऐसा सयंत्र नहीं है जहां हम मिलावट की जाँच करें। अभी वर्तमान में जो मिलावटी सैंपल लिये जाते हैं विभागीय अधिकारियों द्वारा, खासकर त्यौहार के उत्सव में अत्यधिक मात्रा में सैंपल कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसकी जाँच कहां होती है ? यह तो कोलकाता के अलावे नजदीक में कहीं नहीं है और अगल कोलकाता से जाँच करायी जाती है, तो वहां से आये हुये सैंपल पर आजतक कितनों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी, यह मैं जानना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष**--माननीय मंत्री जी।

**श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)**--महोदय, माननीय सदस्य इस मायने में एक हद तक सही कह रहे हैं कि इसको क्रियान्वित करने में थोड़ी देर हुयी है और देर होने का भी कारण है। महोदय, कारण यह है कि प्रथम बार जो निविदा हुयी वह सफल नहीं हो पायी और द्वितीय निविदा के बाद यह काम कर दिया गया है। महोदय, अगले 45 दिनों में इन सहायक उपकरणों की आपूर्ति हो जायेगी और इसके उपरांत उन तीनों उच्चस्तरीय मशीनों से खाद्य पदार्थों की जाँच शुरू कर दी जायेगी। खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयनीकरण हेतु वॉटर बाथ, हॉट एयर ओवेन, एन्क्यूबेटर मफलफर्नेस, रैपटर, वेयिंग बायलेंस इत्यादि उपकरणों की अधिप्राप्ति कर ली गयी है जिससे खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच करायी जा रही है।

**श्री अरूण शंकर प्रसाद**--माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि 45 दिन कम-से-कम अभी और लगेगा और होली का अवसर है, त्यौहार का समय है, मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थ स्वाभाविक है बाजार में उपलब्ध होगा, अभी वे इन 45 दिनों में जाँच कराने की क्या व्यवस्था करने वाले हैं, खाद्य सुरक्षा के लिये ?

**अध्यक्ष**--माननीय मंत्री जी।

**श्री विजय कुमार चौधरी, (मंत्री)**--महोदय, इसमें जो व्यवस्था चल रही है और माननीय सदस्य ने खुद कहा है कि जब यहां व्यवस्था नहीं है, हमलोग सबकुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, अधिष्ठापित कर रहे हैं, इसमें 40-45 दिन लग रहा है और जो कह रहे हैं 10 करोड़ मिला, तो महोदय, उसका हमने हिसाब भी बता दिया है। करीब पौने 6 करोड़ से तीन-तीन मशीनें मंगाई गयी है, बाकी लेबोरेटरी का, भवन का

इंप्रूवमेंट था वह सब काम कराया गया है । जब सरकार इतनी प्रयत्नशील है और हम टाईम लाइन बता रहे हैं कि अगले 45 दिनों में जाँच नहीं की जा सकती थी वह करने की स्थिति में हम आ जायेंगे।

(ज्ञाप संख्या 908-वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 908, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 241 (खाद्य), दिनांक 14 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

----------

**आश्वासन संख्या 1565/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 3182 (द-247) दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्ता**—डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एन०आई०ओ०एस० के तहत बायोलॉजी 10+2 के छात्रों के लिये डी०एम०आई०टी० (डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी) और डी०एम०एल०टी० (डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) का दो वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन०आई०ओ०एस० के तहत डी०एम०आई०टी० और डी०एम०एल०टी० के दो वर्षीय पाठ्यक्रमों की मान्यता संपूर्ण भारतवर्ष में है परंतु बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग से निकलने वाली रिक्तियों में मान्यता नहीं दी जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार में उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं मिलने से बिहार के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एन०आई०ओ०एस० के तहत बायोलॉजी 10+2 के छात्रों के लिये डी०एम०आई०टी० और डी०एम०एल०टी० के दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सरकारी नौकरी में मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

श्री मंगल पाण्डेय, (मंत्री) (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) अस्वीकारात्मक ।

(4) इस संबंध में स्थिति यह है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से DMIT एवं DMLT के दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम को राज्य सरकार की सेवा में मान्यता देने के बिन्दु पर अपेक्षित तकनीकी सुझाव/मंतव्य हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित है। एक माह में समिति का मंतव्य प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 1565-वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 1565, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1831 (4), दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

----------

**आश्वासन संख्या 2690/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 397 (द 47), दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने के कारण उक्त महाविद्यालय की वर्ष 2019 में मान्यता रद्द कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने उक्त महाविद्यालय में सभी पदों पर रिक्ति का विज्ञापन अभीतक नहीं निकाला है, जिससे सैकड़ों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं नामांकन पर लगी रोक के आदेश को स्थगित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

**श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, (उप मुख्यमंत्री)**- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार के चार आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शिक्षण कार्य 2007 से बंद था। राज्य सरकार के प्रयास से

बेगूसराय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को 2019 में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हुयी और शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। सत्र 2022-23 में नामांकन पर रोक लगायी गयी है। राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के कुल 87 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना (मांग-पत्र) बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। उच्चतर संकाय में संविदा के आधार पर नियोजन की भी कार्रवाई की जा रही है। नामांकन पर लगी रोक को हटाने हेतु NCISM से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है तथा प्रतिवेदित कर्मियों को पूरा करने हेतु वचनबद्धता दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 2690-वि०स०, पटना, दिनांक 17 अप्रील, 2023 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 2690, दिनांक 17 अप्रील, 2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 784 (आ०चि०), दिनांक 18 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

**आश्वासन संख्या 2713/22**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 444 (द 41), दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्ता** –डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है किसी भी सूरत में एक चिकित्सक को दो पद की जिम्मेवारी नहीं दिया जायेगा और मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक व्यक्ति द्वारा एक पद पर ही कार्य करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में यथा पी०एम०सी०एच०, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना और एम०एम०सी०, बेतिया, एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में एक डॉक्टर, प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष सहित अन्य दो-दो पद संभाल रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को न ठीक से इलाज कर पा रहे हैं और न प्रशासनिक कार्य ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर को एक पद का जिम्मेवारी देने का विचार रखती है ?

## सरकारी आश्वासन

**श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, (उप मुख्यमंत्री)**—स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 5066, दिनांक 11 अप्रील, 2019 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जानेवाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित है, जिसके कारण उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने की कार्रवाई बाधित है।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में उच्चतर पदों पर चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के वरिष्ठतम चिकित्सक शिक्षक/विभागाध्यक्ष को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभारी प्राचार्य/अधीक्षक के पद का प्रभार दिया गया है।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सक शिक्षकों की उक्त कमी को दूर करने हेतु विभागीय पत्रांक 302(17), दिनांक 7 जून, 2022 एवं 303 (17), दिनांक 7 जून, 2022 द्वारा प्रोन्नति के पदों यथा सह प्राध्यापक के कुल 346 एवं प्राध्यापक के कुल 165 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 2713 वि०स०, पटना, दिनांक 17 अप्रील, 2023 ई०) ।

## समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2713, दिनांक 17 अप्रील, 2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 803 (17), दिनांक 16 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

## समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

## आश्वासन संख्या 2724/22

## प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 431 (द-32), दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री वीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में से मात्र 26 जिलों में देशी आयुष चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित है तथा राज्य के 12 जिलों में अभीतक पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 10 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी का पद वर्षों

से रिक्त है जिस पर कनीय चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभार देकर कार्य का निष्पादन कराया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित एवं विभागीय कार्यहित को ध्यान रखकर इन पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

**सरकारी आश्वासन**

**श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ( उप मुख्यमंत्री )**—(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 38 जिलों में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित है, जबकि 26 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित है एवं शेष 12 नवसृजित जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 26 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित है। जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति/उच्च पदों पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापित किये जाने के कारण 10 जिले में पदस्थापित वरीय आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को उस जिले के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी के पद का प्रभार देकर कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 2724-वि०स०, पटना, दिनांक 17 अप्रील, 2023 ई०) ।

**समिति की समीक्षा**

सभा सचिवालय के पत्रांक 2724, दिनांक 17 अप्रील, 2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 874 (आ०चि०), दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

**समिति का निर्णय**

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

---

**आश्वासन संख्या 351/23**

**प्रसंग एवं विषय**

तारांकित प्रश्न संख्या 673 (द-97), दिनांक 03 मार्च, 2023 को (सदन पटल से) ।

**प्रश्नकर्ता**—श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स०वि०स० ।

**विषय**—(1) क्या यह बात सही है कि 250 बेड का नवनिर्मित भवन इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में तैयार हो गया है और इलाज भी उसमें प्रारंभ है, परंतु उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के पद पर नियमित पदस्थापन नहीं होने के कारण मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उप-निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के पद पर नियमित पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## सरकारी आश्वासन

**श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ( उप मुख्यमंत्री )**--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में वर्तमान में कुल 08 उप-निदेशक एवं कुल 03 संयुक्त निदेशक कार्यरत हैं।

उप-निदेशक एवं संयुक्त निदेशक का पद प्रोन्नति का पद है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 5066, दिनांक 11 अप्रील, 2019 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जानेवाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है, जिसके कारण प्रोन्नति की कार्रवाई बाधित है।

वर्तमान में डॉ० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, को कार्यकारी व्यवस्था के तहत निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 351 वि०स०, पटना, दिनांक 26 जुलाई, 2023 ई०) ।

## समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 351, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1050 (17), दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 04 अप्रील, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

## समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 04 अप्रील, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

# परिशिष्ट

**परिशिष्ट–I**

सं० 12/प०क्यू०5204/94-2016-52 (12)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

(निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं)

प्रेषक

डॉ० कौशल कुमार,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना।

पटना, दिनांक 27 जनवरी, 2021 (ई०)।

विषय श्रीमती रंजू गीता, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 1430 (द-144) से उत्पन्न आश्वासन सं० 541/2011 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

श्रीमती रंजू गीता, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 1430, (द-144) से उत्पन्न आश्वासन सं० 541/2011 के प्रसंग में कहना है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजपट्टी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी नियमित रूप से रह कर जनहित में जन स्वास्थ्य का कार्य करते हैं, साथ ही सरकार के द्वारा प्राप्त दवा उपलब्ध है, जिसे आमजनता को चिकित्सीय लाभ हेतु दवा का वितरण किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 541/2011 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
डॉ० कौशल कुमार,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

# परिशिष्ट–II

सं० 16/क्यू०-1-08-2019-302 (आ०चि०)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

प्रतुल चन्द्र सुमन,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 04 मार्च, 2021 (ई०)।

विषय श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० (द-27) से उत्पन्न आश्वासन सं० 982/2019 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमती अमिता भूषण, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० (द-27) से उत्पन्न आश्वासन सं० 982/2019 के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय में कर्मियों एवं तकनीशियनों की कमी के आलोक में आउटसोर्सिंग से चयनित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार करने का निदेश दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कॉलेज एवं अस्पताल के 38 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान की गयी है (अनुलग्नक संलग्न)।

इस प्रकार विषयांकित आश्वासन का कार्यान्वन हो चुका है। उक्त प्रतिवेदन से माननीय अध्यक्ष, राजकीय आश्वासन समिति को अवगत कराते हुये उसे लम्बित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक

1. आउटसोर्सिंग नियुक्त कर्मियों की सूची ।
2. सी०सी०आई०एम०/आयुष मंत्रालय द्वारा दिये गये मान्यता की सूची।

विश्वासभाजन,

प्रतुल चन्द्र सुमन,

सरकार के अवर-सचिव।

संख्या No. L -14014-55/2020-BP(1)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)

Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)

--------

"आयुष भवन"/"AYUSH BHAWAN"

"बी"ब्लॉक, जी०पी०ओ० काम्प्लेक्स/'B' Block, GPO Complex,

आई०एन०ए०, नई दिल्ली-110023/INA, New Delhi-110 023

To,

The Principal,
Rajkiya Ayodhaya Shivkumar Ayurved College and Hospital,
At Lohiyanagar, Po-Suhrid Nagar, Near Railway Station.
Distt. Begusarai,
Patna 851218
Mob: 9431881929
E-mail:gasay.1946college@gmail.com

दिनांक/Dated : 4th November, 2020

Sub: Grant of Conditional Permission to Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurvedic College and Hospital, At Lohiyanagar, Po-Suhrid Nagar, Near Railway Station, Begusarai, Patna-851218 with 38 seates (including EWS) in UG (BAMS) course for the academic session 2020-21 under section 13A/13C of the IMCC Act, 1970-reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the Ministry's letter No. R.14014/280/2019-EP (IM-1) dated 16.07.2019 related to admission matter for the academic year 2019-20,intimating certain requirements to be fulfilled by the college for consideration of permission for the academic session 2020-21.

2. Further, refer to the CCIM's letter No. Ref.26-10/2020-College, dated 21-09-2020 forwarding therewith recommendation of the college to the Central Government based on through examination of the visitation report Part-1, indemnity bond, affidavit & latest details of teaching, non-teaching and hospital staff submitted by the college along with the assessment report, as the Physical verification by conduction of inspection could not be carried out in view of present COVID-19 pandemic situation for the A.Y. 2020-21. On examining the same in terms of Regulation 3 of the "Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016" Provisions under the IMCC Act. 1970, relevant regulations made thereunder, it is found that the College is fulfilling notified and approved criterion for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course.

3. It has, therefore, been decided by the Central Government to grant Conditional Permission to Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurvedic College and Hospital, At Lohiyanagar, Po-Suhrid Nagar, Near Railway Station, Begusarai, Patna 851218 for conduction 38 seats (Including EWS) in UG (BAMS) course for the academic session 2020-21 under Section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.

4. After the information for conduction 38 UG (BAMS) seats shall be trated as all India quota, the college sor seats under all Indiaquotas shall be conducted by the Central Government and counselling for the remaining 85% seats or as the case may be, shall be conducted by the concerned counseling Authority of that State, If any seats are not filled up in the Central Couaseling, the same shall be transferred to the said Counseling Authority to admit students as per their rules/ reservation policies/norms. The permission of the college stands withdrawn if the college fails to comply with the Central counseling for all India quota or the students admitted thereunder.

5. Admissions made in violation of the above conditions will be treated as invalid and action will be initiated under IMCC Act & Regulations made thereunder.

6. Discrepancies, if any, may be immediately brought to the notice of Board of Governors, CCIM and the Central Government.

7. The following requirements should be fulfilled by the college by 31[th] December, 2020 to get permission for the session 2021-22.

(i) all the Requirements of Minimum Standard of infrastructure and teaching & training facilities as specified in Regulation 3 of the "Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016;

(ii) all the Requirements of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016 (for Ayurveda); and

(iii) all the Requirements under the provisions of the IMCC Act, 1970 and relevant Regulations made thereunder should be fulfilled *in toto*.

8. The fulfillment of the conditions given above may be made within the time period specified and compliance report should be submitted by the college to CCIM under intimation to this Ministry The CCIM will verify that the conditions have been fulfilled by means of an inspection and submit a report along with its assessment in this matter to the Ministry of AYUSH for considering the permission matter from the academic session 2021-22.

9. This issues with the approval of Competent Authority.

Your faithfully,

**Shiela Tirkey,**

Under Secretary to Government of India.

Ph. No.-011-24651976

सं०-SASB-AYUSH-61/2019

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

अरविन्दर सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

निदेशक, आयुर्वेद-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आयुष निदेशालय।

प्रचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक,

राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, बेगूसराय।

प्राचार्य,

राजकीय आर०बी०टी०एस०, होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

प्राचार्य/अधीक्षक,

राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना।

प्रबंधक,

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, पटना।

उपाधीक्षक,

राजकीय दस शैय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल, पटना।

जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक..........................(ई०)।

विषय  वैष्णवी हॉस्पिटल, पटना द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के राजकीय संस्थानों में रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से कार्य करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के संबंध में।

प्रसंग --वैष्णवी हॉस्पिटल, पटना का पत्रांक 292, दिनांक 6 जनवरी, 2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के कॉलेज एवं अस्पताल के निरीक्षण में कतिपय कमियां दर्शायी जाती रही है। इनमें तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों का रिक्त होना दर्शाया जाता है। इन कमियों को पूरा करने हेतु आयुष निदेशालय द्वारा वैष्णवी हॉस्पिटल, मौर्या बिहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना को बाह्य स्रोत से कर्मियों को नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया ।

वैष्णवी हॉस्पिटल, मौर्या बिहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना द्वारा आपके संस्थान में रिक्त पदों की प्राप्त सूची के आधार पर बाह्य स्रोत के माध्यम से कार्य करने हेतु कर्मियों का चयन कर पदवार एवं संस्थानवार सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। चयनित-कर्मियों का योगदान स्वीकार करते हुये इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक  चयनित कर्मियों की सूची ।

विश्वासभाजन,

अरविन्दर सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

सं०-292

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

सेवा में

विशेष सचिव सह-कार्यपालक निदेशक,

राज्य आयुष समिति, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6 जनवरी, 2020 (ई०)।

विषय चयनित अभ्यर्थियों के योगदान करने के संबंध में।

प्रसंग भवदीय पत्रांक 1392 (आ०चि०), दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि आयुष प्रक्षेत्र के राज्य के विभिन्न संस्थानों/औषधालयों में रिक्त विभिन्न पदों पर आँउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे संस्थान के द्वारा आयुष निदेशालय के साथ हुये एकरारनामा के शर्तों एवं आदर्श रोस्टर का पालन करते हुये अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। योग्य एवं अर्हता प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची संस्थानवार संलग्न किया जा रहा है।

अतः आग्रह है कि चयनित अभ्यर्थियों का योगदान कराने हेतु संबंधित संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा की जाय। शेष रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द पूरा कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

अनुलग्नक यथोक्त (कुल 13 पृष्ठ)।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,

पार्टनर,

विशेष सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक,

राज्य आयुष समिति, स्वास्थ्य विभाग।

List of Selected Condidate

| No. | Sr. No. | Ref No. | Name | Selected Post | Elected DI | Selected Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6234 | 4525 | Sanjay Kumar | Assit, Librarian | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 2 | 4737 | 1507 | Priya Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 3 | 9103 | 2004 | Divakar Kumar | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 4 | 5639 | 5827 | Sonu | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 5 | 9409 | 12727 | Kumar Sonu | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 6 | 2869 | 30208 | Alok Wardhan Kumar | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 7 | 9405 | 12721 | Rishikesh Kumar Singh | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 8 | 9401 | 12720 | Kanchan Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 9 | 4297 | 4019 | Prem Kumar | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 10 | 2986 | 4731 | Mukund Kumar Jha | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 11 | 9383 | 10600 | Shivani Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 12 | 8188 | 1662 | Rahul Ram | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 13 | 2750 | 3022 | Nitu Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 14 | 2704 | 3019 | Rupam Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 15 | 9307 | 1070 | Guriya Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 16 | 2182 | 12611 | Anil Kumar Sinha | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 17 | 65 | 15 | Ajeet Kumar Ray | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 18 | 51 | 14 | Sanjay Kumar | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 19 | 9428 | 12755 | Rupa Kumari | Attendant | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 20 | 6688 | 6765 | Avinash Kumar | Ayurvedic Compounder | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 21 | 1510 | 428 | Neha Kumari | Ayurvedic Compounder | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 22 | 9387 | 6907 | Shivjee Kumar | Ayurvedic Compounder | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 23 | 3759 | 2900 | Birbal Kumar | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 24 | 7802 | 8204 | Md Zafar Auwal | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 25 | 2064 | 4614 | Md Aftab Ali | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 26 | 2056 | 5581 | Md Moiz Alam | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 27 | 4391 | 3292 | Anisha Kumari | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 28 | 8755 | 6258 | Kanchan Devi | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 29 | 2696 | 8321 | Anuj Kumar Sinha | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 30 | 8844 | 2332 | Ravi Shankar Kumar | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 31 | 5155 | 4369 | Sarita Kumari | Clerk | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 32 | 1299 | 8167 | Mukesh Kumar | Lab Tech | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 33 | 7100 | 11120 | Chaturbhuj Kr. Pand | Lab Tech | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 34 | 9391 | 6904 | Ajeet Kumar Sah | Lab Tech | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 35 | 6191 | 7238 | Pramod Kumar | Librarian | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 36 | 9402 | 12725 | Rimjhim Kumari | Metron | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 37 | 5973 | 4072 | Nilesh Kumar | Musium Keeper | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 38 | 3771 | 292 | Pavan Kumar | Musium Keeper | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 39 | 2065 | 8205 | Md. Aslam | Musium Keeper | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 40 | 2550 | 9132 | Yashbant Kumar | Musium Keeper | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 41 | 3090 | 3913 | Nilu Kumari | Musium Keeper | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 42 | 9395 | 12734 | Premlata Kumari | Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 43 | 4736 | 1509 | Aditi Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 44 | 1152 | 6431 | Babita Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 45 | 8249 | 8629 | Anjali Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 46 | 5172 | 1776 | Pushpam Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 47 | 239 | 1028 | Soni Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 48 | 237 | 1029 | Ribha Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 49 | 751 | 3768 | Rekha Kumari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 50 | 905 | 1019 | Jeevan Kmuari | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 51 | 2572 | 3854 | Sangita Rani | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |
| 52 | 1891 | 4533 | Renu Sinha | Staff Nurse | Begusarai | Gov.A.S.A.C & Hospital |

**परिशिष्ट–III**

सं० 17/क्यू०-13/2019-1231 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना।

पटना, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (ई०)।

विषय श्री ललित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 17(अ०सू०-09) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 197/2021 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री ललित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 17(अ०सू० 09) के क्रम में सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 197/2021 के संबंध में कहना है कि राज्य के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के मानक के अनुरूप बी०डी०एस० डिग्री धारक छात्रों को ट्यूटर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के मानक के अनुरूप जूनियर रेजिडेन्ट के पद का कोई उल्लेख न होकर बी०डी०एस० अभ्यर्थियों के लिये ट्यूटर पद का उल्लेख है।

अतएव वर्णित स्थिति में श्री ललित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 17 पर सरकारी उत्तर में निहित आश्वासन सं० 197/21 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

**परिशिष्ट–IV**

सं०--17/क्यू०-1-06/2021-753 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शिशिर कुमार मिश्रा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, सचिवालय,

पटना।

पटना, दिनांक 09 सितम्बर, 2022 (ई०)।

विषय स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित दंत चिकित्सक शिक्षकों एवं राजकीय फार्मेसी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का मानदेय पुनर्निधारित करने के संबंध में ।

प्रसंग आपका पत्रांक रा०आ०स० 35/21-1155/वि०स०, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 19 मार्च, 2021 को हुयी सदन की बैठक में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन संख्या 1155, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के आलोक में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 487(17), दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित दंत चिकित्सक शिक्षकों एवं राजकीय फार्मेसी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को पुनरीक्षित/अनुशंसित मानदेय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

शिशिर कुमार मिश्रा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 17/एफ-1-06/2021-487 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

**आदेश**

दिनांक 20 जुलाई, 2022

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के परिशिष्ट के कंडिका 02 के आलोक में प्राधिकृत समिति द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई, 2007 एवं 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के तहत स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित दंत चिकित्सक शिक्षकों एवं फार्मेसी शिक्षकों का मानदेय का निर्धारित मूल वेतन+महंगाई भत्ता+अन्य भत्ता के आधार पर किया जाता है।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 435 (17), दिनांक 27 जुलाई, 2017 द्वारा तत्कालीन बाजार दर पर निम्नांकित पदों का मानदेय निर्धारण किया गया था। अतएव राज्य के दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों/फार्मेसी संस्थानों में संविदागत रूप से नियोजित दंत चिकित्सक शिक्षकों एवं फार्मेसी शिक्षकों का मानदेय का पुनर्निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है:-

(i) दंत महाविद्यालय एवं अस्पतालों हेतु

| क्र० सं० | पदनाम | वर्तमान में स्वीकृत मानदेय (01 अप्रील, 2017 से लागू) | वेतन स्तर | पुनरीक्षित अनुशंसित मानदेय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राध्यापक | 1,32,500 | लेवल-13 | 1,80,000 |
| 2 | रीडर | 86,500 | लेवल-12 | 1,35,000 |
| 3 | व्याख्याता | 75,000 | लेवल-11 | 1,10,000 |
| 4 | ट्यूटर | 59,000 | लेवल-09 | MDS योग्यताधारी 95000<br>BDS योग्यताधारी 65000 |

(ii) राजकीय फार्मेसी संस्थानों हेतु (AICTE नई दिल्ली के वेतनमान के अनुरूप)--

| क्र० सं० | पदनाम | वर्तमान में स्वीकृत मानदेय (01 अप्रील, 2017 से लागू) | वेतन स्तर | पुनरीक्षित अनुशंसित मानदेय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राध्यापक | 1,16,000 | लेवल-14 | 1,80,000 |
| 2 | सह-प्राध्यापक | 1,13,500 | लेवल-13A | 1,35,000 |
| 3 | सहायक प्राध्यापक | 54,000 | लेवल-10 | 85,000 |

3. उपरोक्त देय मानदेय दिनांक 01 अगस्त, 2022 की तिथि से प्रभावी होगा।

4. प्रस्ताव में प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

शिशिर कुमार मिश्रा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

## परिशिष्ट—V

सं० 12/प०-क्यू०-4-101/2021-970 (12)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा,

पटना।

पटना, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 (ई०)।

विषय : श्री मनोज मंजिल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 2627 (द-333) से उत्पन्न आश्वासन सं० 1156/2021 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

श्री मनोज मंजिल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 2627 (द-333) से उत्पन्न आश्वासन सं० 1156/2021 के प्रसंग में कहना है कि सदर अस्पताल, आरा के ऑपरेशन थियेटर में उपलब्ध सुविधाओं की जाँच दो सदस्यीय दल के द्वारा करायी गयी थी। दो सदस्यीय दल के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में लैम्प तथा इमरजेन्सी लैम्प, कार्डियक मोनिटर तथा ई०सी०जी० मशीन उपलब्ध रहने का उल्लेख साक्ष्य सहित (चित्र के साथ) किया गया है (जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 1156/2021 को विलोपित करने हेतु आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय--श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० द-333 की कंडिका 02 में सिविल सर्जन, भोजपुर द्वारा दिये गये उत्तर की सत्यता के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 362(12), दिनांक 23 मार्च, 2021 के आलोक में गठित दो सदस्यीय जाँच समिति द्वारा दिनांक 07 अप्रील, 2021 को सदर अस्पताल, आरा का 12.30 PM में स्थल निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या द-333 में सिविल सर्जन, आरा द्वारा जो प्रेषित उत्तर सामग्री के आधार पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य द्वारा दिये गये उत्तर के आलोक में गठित जाँच समिति द्वारा निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुये--

(1) निरीक्षण के क्रम में सदर अस्पताल, आरा में शल्यक्रिया हो रही थी। ओ०टी० में दोनों लैम्प जल रहे थे तथा इमरजेन्सी लैम्प भी था। साथ ही साथ कार्डियेक मोनीटर तथा ई०सी०जी० की मशीन भी उपलब्ध थी (सुलभ प्रसंग हेतु जाँच दल द्वारा मोबाइल के कैमरे से लिये गये फोटो संलग्न, पृष्ठ-25-20/प० द्रष्टव्य)।

(2) विदित हो कि फरवरी, 2021 और मार्च, 2021 में क्रमशः 78-71 मरीजों का ई०सी०जी० किया गया (पृष्ठ सं० 19-10/प० द्रष्टव्य)। साथ ही साथ फरवरी, 2021 और मार्च, 2021 में क्रमशः 138-141 Caesarian Operation भी किया गया। (सुलभ प्रसंग हेतु श्री कौशल दुबे, स्वास्थ्य प्रबंधक, सदर अस्पताल, आरा द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न, पृष्ठ सं० 09-08/प० द्रष्टव्य)।

डॉ० देवेन्द्र कुमार गुप्ता,
अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

डॉ० अंजनी कुमार,
अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

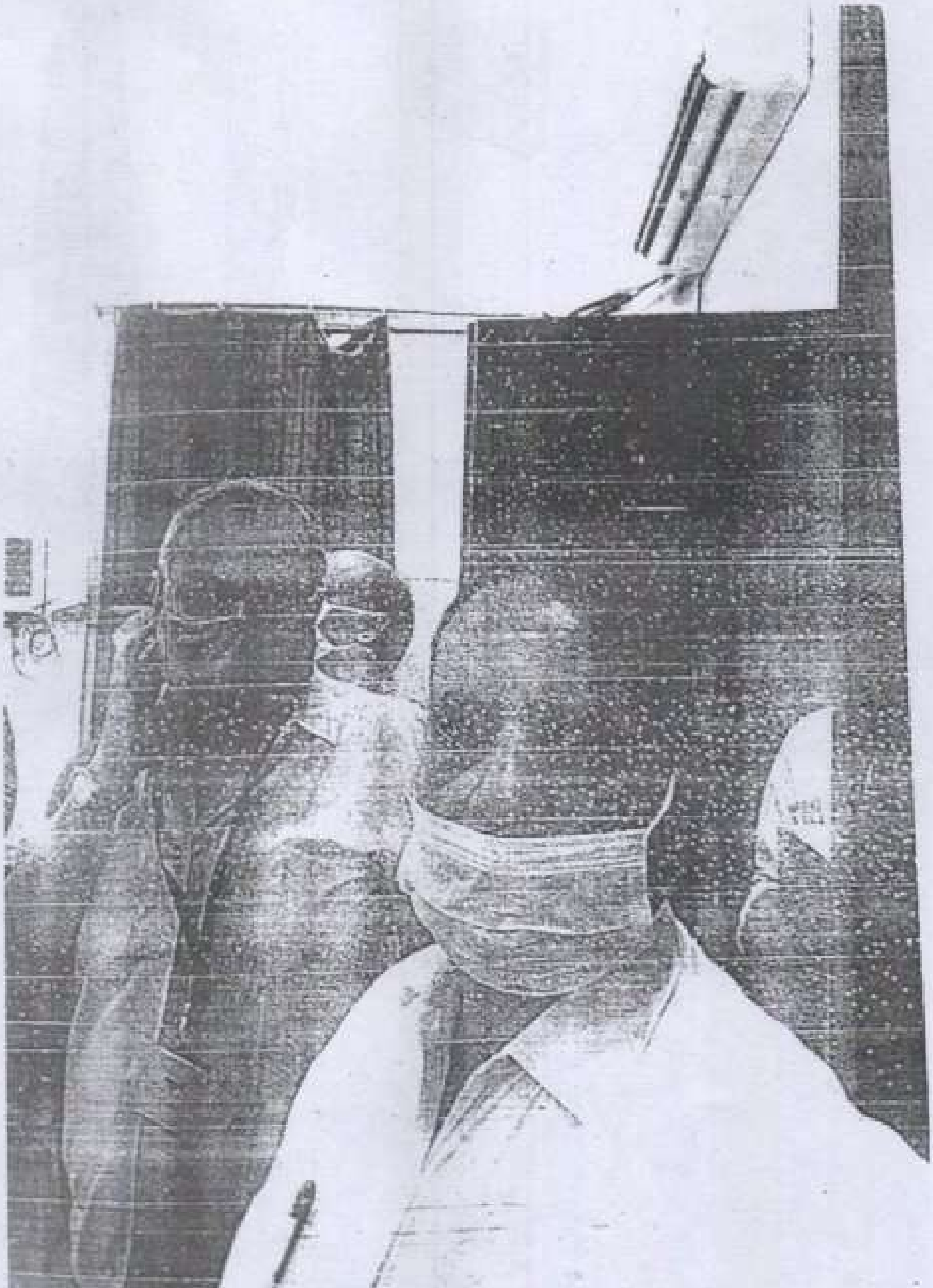

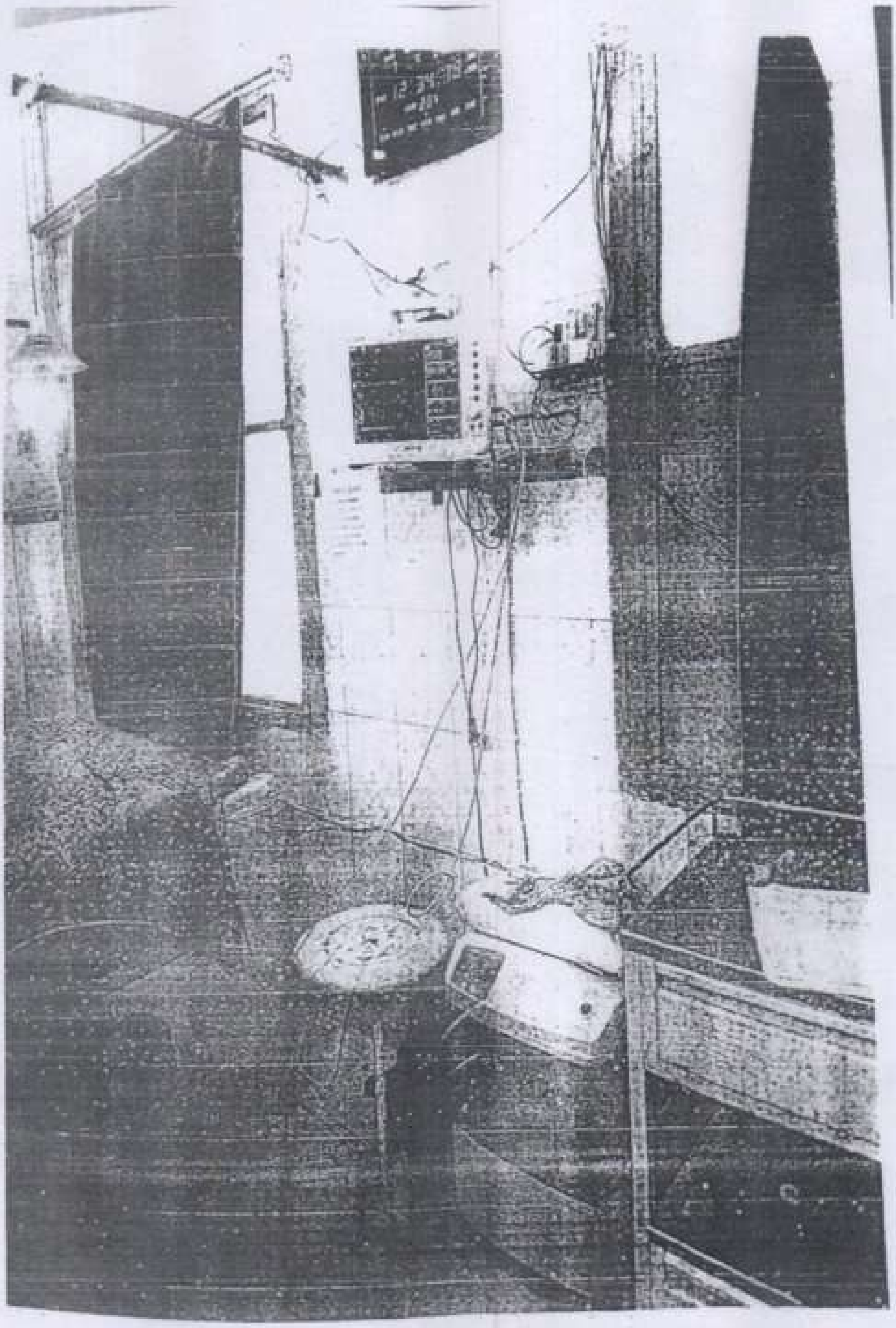

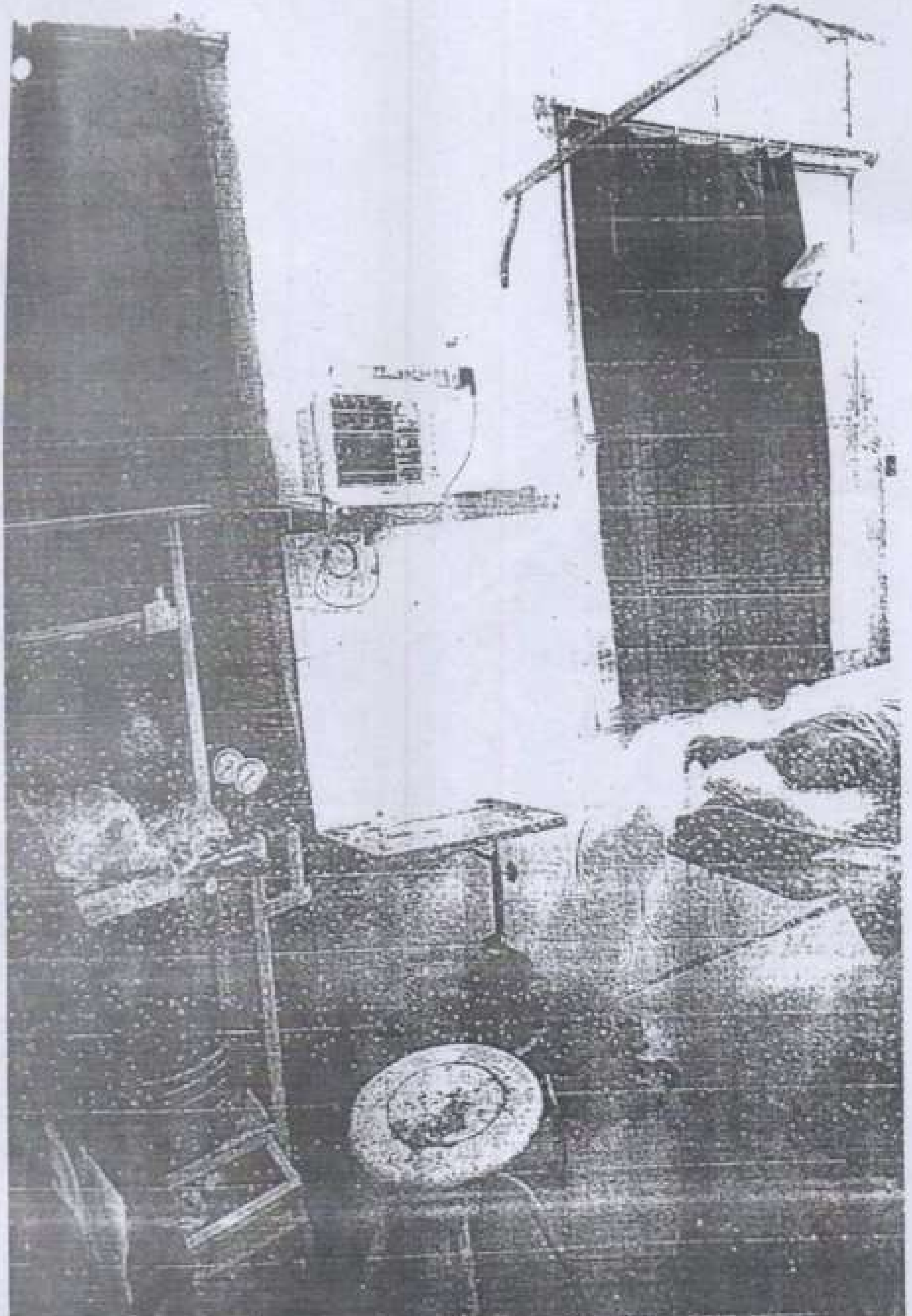

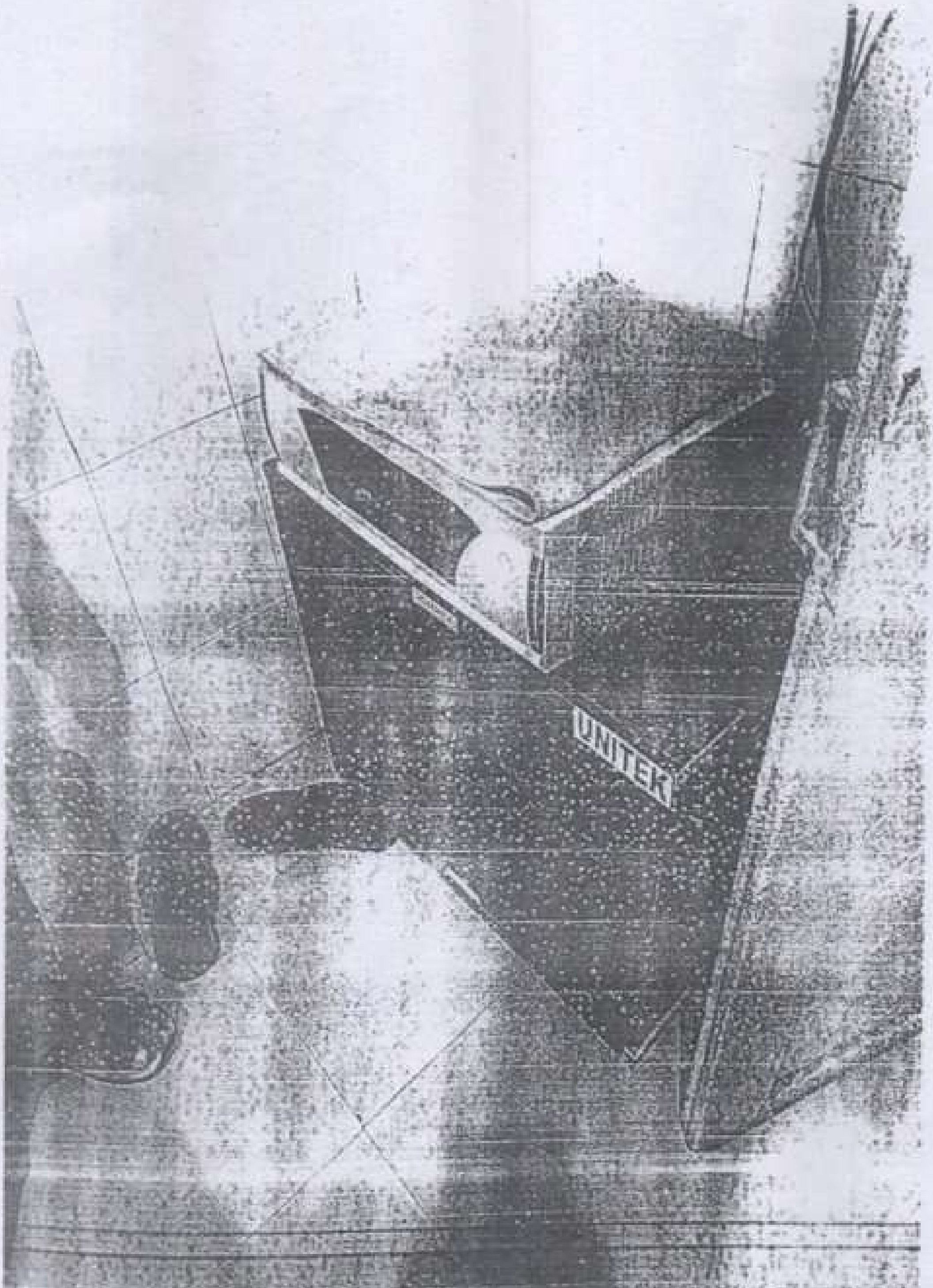
UNITEK

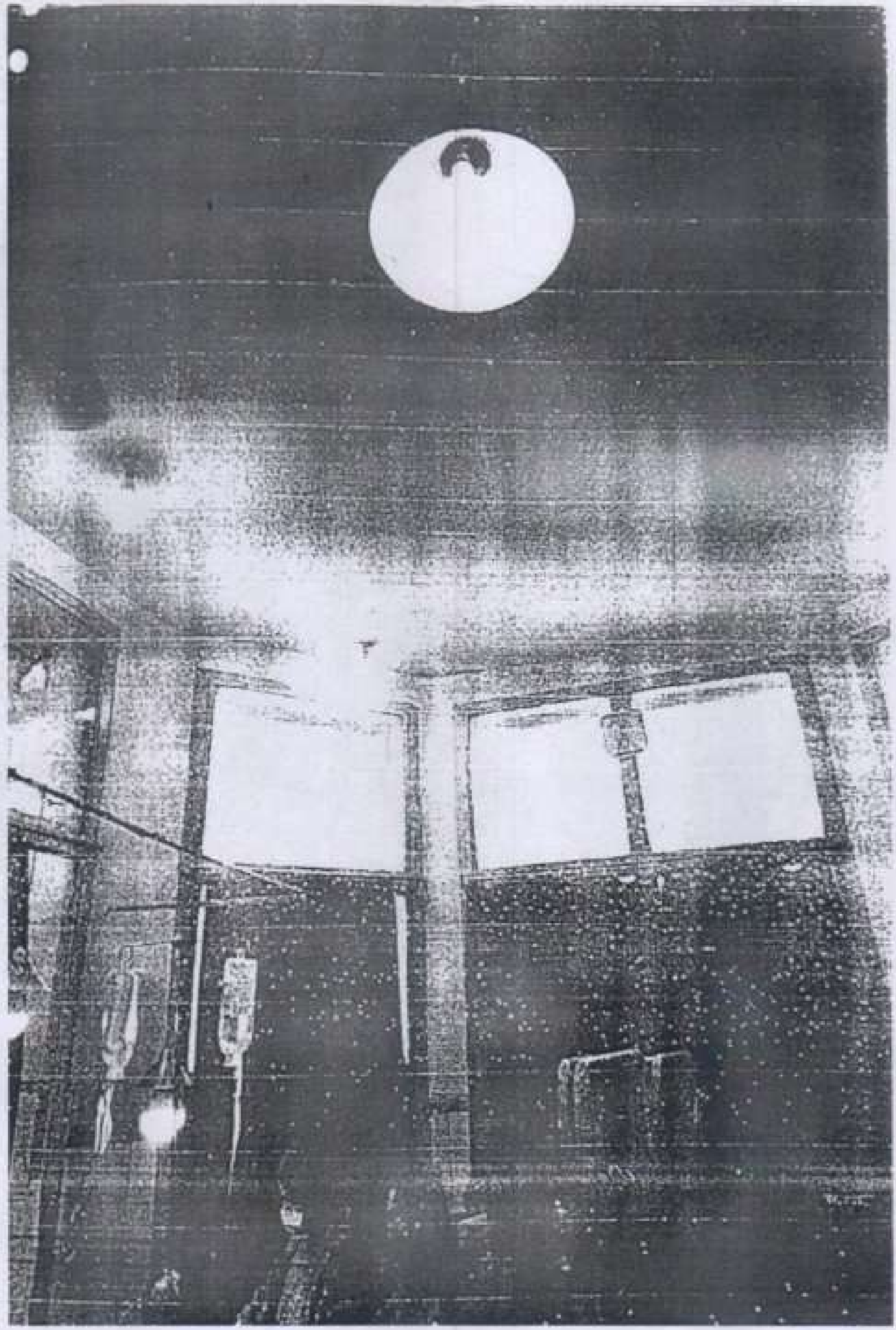

FCU

(78) CG

1-9-2021

| | |
|---|---|
| ① C-61536 | Surendar Pd 45 - M |
| ② G-60393 | Kamal Pd Gupta 30 - M |

2-9-2021

| | |
|---|---|
| ① G-52459 | Dayanand 40 - M |
| ② C-70846 | Dharmishila Devi 60 - F |
| ③ G-62956 | Raj babu Sharma 18 - M |
| ④ C-5826 | Satendra Singh 48 - M |

3-9-2021

| | |
|---|---|
| ① G-00595 | Raj kumari Devi 70 - F |
| ② G-01002 | Munni Devi 50 - F |
| ③ C-2272 | Shutada kumari 15 - F |

4-9-2021

| | |
|---|---|
| ① C-3451 | Munna kumar 45 - M |
| ② C-3450 | Deepak kumar 35 - M |
| ③ G-02314 | Sa bita Devi 38 - F |
| ④ G-07525 | Santosh kumar 32 - M |

5-9-2021

| | |
|---|---|
| ① B-00434 | Ramjeevan Yadav 65 - M |
| ② G-56968 | Dewanti Devi 45 - F |

7.4.21

6-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) G-05874 | Sundar Shrma | 62 - M |
| 2) C-4610 | Seema Devi | 40 - F |
| 3) G-08674 | Dubi Prasad | 50 - M |

8-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) G-87313 | Sangita Devi | 40 - F |
| 2) C-5206 | Prynuwati Devi | 57 - F |
| 3) B-00280 | Sanju Devi | 41 - F |

9-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) G-09363 | Usha Devi | 58 - F |
| A-191 | Rajesh Bhaat | 54 - M |
| 3) A-107 | Sumanta Devi | 55 - F |
| 4) B-419 | Dulesha Devi | 65 - F |

10-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) C-4232 | Phulvanti Devi | 75 - F |
| 2) A-1106 | Umashankar Mishra | 42 - M |
| 3) C-4353 | D.K. Gupta Jee | 40 - M |

11-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) B-243 | Amit Kumar | 29 - M |
| 2) C-428 | Puja Kumar | 28 - F |
| 3) A-994 | Anil Kumar | 39 - M |

7.4.21

12-2-2021.

| | | |
|---|---|---|
| ① A-995 | Sodha Devi | 49-F |
| ② C-1001 | Sonu Singh | 39-M |
| ③ B-9919 | Palita | 28-M |

12-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| ① A15896 | Rakhi Kumari | 24-F |
| ② A-17257 | Madan Singh | 27-M |
| ③ B-16287 | Mohan Kumar | 43-M |

14-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| ① G47367 | Sharada Singh | 37-F |
| ② A-1995 | Poonam Devi | 43-F |

15-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| ① A-2131 | Umesh Kumar | 49-M |
| 2 B-1937 | Rakesh Kumar | 33-M |
| 3 A-2139 | Dharmshila Devi | 45-F |
| ④ B-1975 | Bhola Kumar | 19-M |

18-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| ① A9370 | Anil Kumar | 47-M |
| ② B-2957 | Chhotu Kumar | 22-M |
| ③ A-910 | Puja Dash | 51-F |
| ④ B-1001 | Ajeet | 29-M |

7.4.21

20-2-2021

| | |
|---|---|
| ① A-2308 | Vikramar Tiwari [illegible]-M |
| ② A-76 | Pahuvr [illegible]-F |
| ③ C-11573 | Jyoti Kumari 30-F |

22-2-2021

| | |
|---|---|
| A-7181 | Manoj Kumar [illegible]-M |
| A-9151 | Dhirh Kumar [illegible]-M |
| B-501 | Preshiza Kumar 50-F |

23-2-2021

| | |
|---|---|
| A 905 | Malike Devi 52-F |
| B 801 | Rohish Kumar 23-M |

24-2-2021

| | |
|---|---|
| C-901 | Priti Kumar 50-F |
| C-991 | Anju Devi 88-F |

25-2-2021

| | |
|---|---|
| B-9101 | Anil Kumar 50-M |
| A-2106 | Sita Devi [illegible]-F |

26-2-2021

| | |
|---|---|
| ~~A-9991~~ | ~~Anisha Kumari~~ 22-F |
| ~~B-2191~~ | ~~An~~ Madanmohan 50-M |

[illegible signature]

27-2-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 2101 | Reta Devi 50 F |
| (2) | B 9010 | Amit Singh 40 M |
| (3) | H 9096 | Sanjay Kumar 38 M |

1-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 3501 | Amit Singh 29 M |
| (2) | B 2402 | Amit Kumar 19 M |

2-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 3106 | Sanal Kumari 27 - F |
| (2) | A 2508 | Puja Devi 21 F |
| (3) | B 1801 | Upendar Kumar 35 - M |

3-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 2802 | Koren Devi 42 - F |
| (2) | B 1809 | Ankit Kumar 43 - M |
| (3) | A1865 | Sonidari Devi 49 - F |
| (4) | A 2409 | Punam Devi 36 - F |

4-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | C 2409 | Nicha Devi 39 F |
| (2) | B 3210 | Sonu Kumar 24 - M |
| (3) | C 2501 | Santo Singh 29 - M |

5 (71)

27-3-2021

1) B 2709 ——— 39 M
2) C 8501 ——— 41 M
3) B 2708 ——— 52 - F

30-3-2021

1) A 2891 ——— 45 - F
2) C-20496 ——— 50 - M
3) A 9091 ——— 41 - M
4) B 2108 ——— 49 - F

31-3-2021

1) C 5901 ——— 59 - F
2) B 1011 ——— 65 - M

7.4.21

23-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 6747 | 45 F |
| (2) | B 2849 | 32 F |
| (3) | C 2745 | 60 M |

24-3-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | C-17723 | Ram Kumari Devi | 42 F |
| (2) | C-18142 | Asa Pujan Singh | 58 M |
| (3) | C 18231 | Sarojila Devi | 80 F |
| (4) | A-6370 | Anil Kumar | 45 M |
| (5) | C 17676 | Amarendar | 55 M |
| (6) | C-2400 | Usha Devi | 40 F |

25-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| C-6509 | Aniket Singh | 50 M |
| B-2608 | Sonu Kumar | 40 M |

26-3-2021

| | | |
|---|---|---|
| (1) | A 5708 | 60 F |
| (2) | A 5711 | 84 F |
| (3) | B 2708 | 45 M |

7.4.21

17-3-2021

1. A 6507 — 53 M
2. A 6309 — 24 M
3. A 6170 — 70 F
4. B 5910 — 65 M

18-3-2021

1. B 2710 — 60 F
2. A 3309 — 50 M
3. A 5410 — 40 M

19-3-2021

1. B 4509 — 45 M
2. A-6410 — 39 F
3. B-5417 — 27 M

20-3-2021

1. A 6709 — 49 F
2. B 6791 — 45 M
3. A 6892 — 60 M
4. A 6842 — 50 M

22-3-2021

1. A 6509 — 19 - F
2. A 6310 — 27 - F

7.4.21

10-3-2021

① 1A 5509 — 47 M
② 1A 5301 — 53 M
③ B 2903 — 41 F

12-3-2021

① 4901 — 59 M
② 5003 — 39 F
③ 5409 — 32 M
4 5904 — 27 F

13-3-2021

① 1A 4209 — 61 M
② 1A 4510 — 58 M

15-3-2021

① B 2203 — 75 F
② B 2904 — 60 M
③ 1A 3501 — 37 F
④ 1A 5409 — 40 M

16-3-2021

① 1A-6509 — 37 M
② 1A-6704 — 40 F
③ B 2409 — 50 M

7.4.21

5-3-2021

1) A2906 Sunil Singh 35-M
2) A2408 Randhir Kumar 39-M
3) B1909 Poonam Devi 50-F
4) A1704 Rinke Kumari 38-F

6-3-2021

1) B2702 — 50-F
2) A2403 — 65-M
3) A-2401 — 85-M
4) A-2101 — 87-M

8-3-2021

1) A5102 — 49 M
2) B-2501 — 45 F
3) C-2702 — 42 M
4) A-4809 — 30 M
5) A-4508 — 49 F

9-3-2021

1) A4201 — 70 M
2) A4402 — 60 M
3) B4503 — 80 F

7.4.21

SADAR HOSPITAL ARA GENRAL OPRATION THEATER.

REPORT

| Speciality | Name of Doctor | Month | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgeons | | L.S.C.S | F.P/BLTL | N.S.V. | Minor | Major | POP | Extidental | Gun shout | PPICUD | IUCD | REMARKS |
| | Dr Arun Kumar | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| | Dr. M.H. Ansari | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Vikash Singh | | | | 14-1=13 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gynae/Obs | Dr. Madhubala Sinha | 23 | 5 | | | | | | | 1 | | NVD-1 |
| | Dr. Vijyata Parsad | 36 | 9 | | | | | | | 1 | | NVD-1 |
| | Dr. Kavita | 21 | 7 | | | | | | | 2 | | |
| | Dr. Shajiya Badar | 16 | 4 | | | 1 | | | | | | |
| | Dr. Pargati | 42 | 12 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ortho | Dr. R.N. Yadav | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Shailendra Kumar | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Asutosh Kumar | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Mahaveer Parsad | | | | | 2 | | | | | | |
| Anestihist | | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Naresh Prasad | 48 | | | | | | | 1 | | | |
| | Dr. Ravi Anand | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Uday Kumar | 40 | | | 1+13 | 1+1+10 | | | | | | |
| | Dr. J.N. Mishra | 50 | | | 1 | 1+1+1 | | | 1 | | | |
| Pediatrician | Dr. Ajay Kr. Panday | 11 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Dhru Ji | 43 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Abhay Anand | 26 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Ashutosh Kr. Sharma | 24 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Anil Kumar | 34 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 138 | 37 | | 17 | 16 | | | 1 | 6 | | NVD-2 |

Total Opreation 178    8 AM TO 8 PM - 5    Gun shout - 1

Total I.L.S.C.S. 138    Total BLTL - 37    NVD - 2

March - 2021

| SADAR HOSPITAL ARA REPORTING MONTH - | | |
|---|---|---|
| S NO | [illegible] | TOTAL |
| [illegible] | Total [illegible] deliveries performed | 138 |
| [illegible].1.[illegible] | C-sections, performed at night (8 PM- 8 AM) | 5 |
| 4.3 1.A | MTP up to 12 weeks of pregnancy | — |
| 4.3.1.B | MTP more than 12 weeks of pregnancy | — |
| 14.[illegible].1 | Operation major (General and spinal anaesthesia) | 13 |
| 14.[illegible] | Out of Operation major, Gynaecology- Hysterectomy surgeries | 1 |
| 14.5.3 | Major Surgeries excluding Obstetrics, Gynaecology and Opthalmology etc. | 2+1 |
| 14.5.4 | Operation minor (No or local anaesthesia) | 17 |
| 14.5.5 | Number of post operative Surgical Site infection | 0 |

Radhi Khatta 2/2/21
SIGNATURE

Kue
7.4.21

February 2021

SADAR HOSPITAL ... REPORTING

| | | TOTAL |
|---|---|---|
| 5.1 | Total C-Section deliveries performed | 141 |
| 3.1.1 | C-sections, performed at night (8 PM- 8 AM) | 6+6=12 |
| 3.3.1.A | MTP up to 12 weeks of pregnancy | 1 |
| 3.3.1.B | MTP more than 12 weeks of pregnancy | 0 |
| 6.1 | Operation major (General and spinal anaesthesia) | 9+1=10 |
| 14.6.2 | Out of Operation major. Gynecology- Hysterectomy surgeries | 7 |
| 14.7.3 | Major Surgeries excluding Obstetrics, Gynaecology and Opthalmology etc. | 1 |
| 14.5 | Operation minor (No or local anaesthesia) | 19 |
| 14.5 | Number of post operative Surgical Site infection | 1 |

SIGNATURE 3/3/21

7.4.21

SADAR HOSPITAL ARA GENRAL OPRATION THEATER,
REPORT (FEBRUARY 2021)

| Speciality | Name of Doctor | Month | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgeons | | L.S.C.S | F.P/BLTL | N.S.V. | Minor | Major | POP | Extidental | Gun shout | PPICUD | IUCD | REMARKS |
| | Dr Arun Kumar | | | | 8 | 1 | | | | | | |
| | Dr. M.H. Ansari | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Vikash Singh | | | | 11 | 15 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gynae/Obs | Dr. Madhubala Sinha | 26 | 6 | | | | | | | 2 | | |
| | Dr. Vijyata Parsad | 31 | 2 | | | | | | | 1 | | NVD-1 |
| | Dr. Kavita | 37 | 9 | | | | | | | 1 | | |
| | Dr. Shajiya Badar | 24 | 6 | | | | | | | 1 | | |
| | Dr. Pargati | 23 | 4 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ortho | Dr. R.N. Yadav | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Shailendra Kumar | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Asutosh Kumar | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Mahaveer Parsad | | | | | 1 | | | | | | |
| Anestihist | | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Naresh Prasad | 35 | | | 2 | 1 | | | | | | |
| | Dr. Ravi Anand | | | | | | | | | | | |
| | Dr. Uday Kumar | 62 | | | 4+4 | 15 | | | | | | |
| | Dr. J.N. Mishra | 44 | | | | 1+1 | | | | | | |
| Pediatrician | Dr. Ajay Kr. Panday | 14 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Dhru Ji | 58 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Abhay Anand | 19 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Ashutosh Kr. Sharma | 23 | | | | | | | | | | |
| | Dr. Anil Kumar | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 141 | 37 | | 19 | 17 | | | 1 | 7 | | 1 |

Total Opreation 181
Total L.S.C.S. 141

Total BLTL - 27
PPIUCD - 7

LSCS 8 Am TO 8 pm - 6+6= 12

**परिशिष्ट—VI**

सं०--17/क्यू०-06/2022-1070 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर सचिव,

राजकीय आश्वासन समिति,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 19 नवम्बर, 2023 (ई०)।

विषय श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 23(अ०सू०-06) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 264/22 के संबंध में ।

प्रसंग आपके ज्ञाप सं० 708, दिनांक 23 फरवरी, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 331 (17), दिनांक 21 जून, 2022 द्वारा श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 23(अ०सू० 06) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 264/22 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय पत्रांक 331(17), दिनांक 21 जून, 2022 की छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 17/क्यू० 1-06/2022-331 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शिशिर कुमार मिश्रा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना।

पटना, दिनांक 21 जून, 2022 (ई०)।

विषय श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 23(अ०सू०-06) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 264/22 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 23(अ०सू० 06) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 264/22 वि०स०, दिनांक 29 अप्रील, 2022 के क्रम में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 421(02), दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा शेष 138 पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 03 वर्षों की अनिवार्य सेवा दिये जाने हेतु पदस्थापित किया जा चुका है।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

शिशिर कुमार मिश्रा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

**अधिसूचना**

29 मार्च, 2022

संख्या 2/टि० 02/2022 421 (2)/स्वा०/विभागीय संकल्प सं० 450 (1), दिनांक 15 अप्रील, 2017 के आलोक में राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी० डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा दिये जाने हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 8 में अंकित चिकित्सा संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:

| MD (ANATOMY) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Merit List | University Reg. No. | Name | D.O.B. | Home District | Category | Posting Place |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 18218206001 | Chandan Kumar | Nov.10 1984 | Patna | SC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| 2 | 4 | 18213202001 | Sweta Rani | Sep. 3 1991 | Bhagalpur | UR | Tutor, GMC, Purnia |
| 3 | 5 | 18218205001 | Kumari Suman | Dec. 31 1986 | Patna | SC | Tutor, PMCH, Patna |
| 4 | 6 | 18213204001 | Shilpi Rani | Jun. 22 1981 | Bhagalpur | UR | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 5 | 8 | 18213201002 | Vinita Sinha | Sep. 15 1971 | Ranchi | UR | Tutor, NMCH, Patna |
| 6 | 9 | 18213202004 | Garima Anant | Jan. 4 1983 | Nalanda | UR | Tutor, SKMCH, Muzaffarpur |
| 7 | 11 | 18213202003 | Manish Kumar | Dec. 1 1982 | Samastipur | SC | Tutor, JNKTMCH, Madhepura |
| 8 | 13 | 18213201004 | Nirmal Kumar | Jan 7 1982 | Jamui | EBC | Resident Doctor, Gardiner Road, Super Specialty Hospitals, Patna. |
| MD (PHYSIOLOGY) | | | | | | | |
| 9 | 7 | 18232202003 | DHIRAJ KUMAR | Mar. 4 1976 | Madhubani | BC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 10 | 4 | 18232202002 | Binod Kumar singh | Dec. 28 1973 | Madhubani | BC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 11 | 6 | 18232202004 | Rajkishore Singh | Nov, 2 1976 | Saharsa | BC | Tutor, JNKTMCH, Madhepura |
| 12 | 7 | 18232202006 | Subodh Kr. Paswan | Jan. 5 1983 | Munger | SC | Tutor, GMC, Purnia |
| 13 | 10 | 18232201001 | Shanta Kumari | Jan. 22 1985 | Rohtas | SC | Tutor, PMCH, Patna |
| 14 | 11 | 18232204004 | Anand Kumar | Feb. 1 1987 | Nalanda | UR | Tutor, PMCH, Patna |
| 15 | 12 | 18232203001 | Archana Bharti | Apr. 3 1980 | Bhagalpur | BC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 16 | 14 | 18232202005 | Dinesh Prasad | Dec. 18 1977 | Munger | SC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 17 | 16 | 18232204002 | Dayanand Prasad | Jul. 5 1976 | Nawada | BC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 18 | 17 | 18232201003 | Shashi Bhushan Kr. | Mar. 1 1980 | Sheikhpura | BC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| 19 | 18 | 18232201005 | Prity Kumari | Dec. 27 1981 | Darbhanga | BC | Tutor, GMC, Bettiah |
| 20 | 19 | 18232204003 | Sanjit Kumar | Mar. 1 1979 | Patna | BC | Tutor, GMC, Bettiah |
| MD (BIOCHEMISTRY) | | | | | | | |
| 21 | 5 | 18214204003 | Vaidehi | Feb. 25 1980 | Patna | BC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 22 | 6 | 18214202002 | Shabana | Jan. 14 1989 | Supaul | EBC | Tutor, JNKTMCH, Madhepura |
| 23 | 8 | 18214204002 | Rajnish Kumar | Aug. 16 1971 | Bhagalpur | EBC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| MD (PATHOLOGY) | | | | | | | |
| 24 | 6 | 18228202002 | Madhu Bharti | Aug. 2 1981 | Khagaria | EBC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 25 | 7 | 18228201010 | Anand Raj | Jul. 5 1986 | Vaishali | Gen | Tutor, PMCH, Patna |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 18228201009 | Sunil Kumar | Oct. 2 1987 | Darbhanga | SC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 27 | 10 | 18228201005 | Jyoti Kumari | Apr. 3 1985 | Nalanda | EBC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 28 | 11 | 18228201004 | Ranjeet Kumar | Apr. 5 1974 | Buxar | SC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| 29 | 13 | 18228202004 | Shweta Kumari | Feb. 20 1986 | Bhagalpur | ST | Tutor, GMC, Purnia |
| 30 | 16 | 19228205001 | Dr. Archana Kumari | May. 25 1972 | Bhagalpur | EBC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 31 | 20 | 17228202006 | Sanjay Kr. Sahani | Jul. 15 1982 | | EBC | Tutor,JNKTMCH, Madhepura |
| | | | | **MD (MICROBIOLOGY)** | | | |
| 32 | 3 | 18226201003 | RASHMI PRABHA | Sep. 16 1982 | Nalanda | UR | Tutor, PMCH, Patna |
| 33 | 4 | 18226202005 | Sunil Kumar | Jan. 1 1973 | Darbhanga | EBC | Tutor, SKMCH, Muzaffarpur |
| 34 | 6 | 18226204002 | Farhin Nishat | Jul. 26 1989 | Gaya | BC | Tutor, JLNMCH. Bhagalpur |
| 35 | 8 | 18226202002 | Md. Shakir Alam | Jan. 4 1983 | Araria | EBC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 36 | 9 | 18226201002 | Atul Anand | Apr. 15 1983 | Banka | SC | Tutor, NMCH, Patna |
| 37 | 11 | 18226203001 | Deepak Kumar | Feb. 15 1990 | Khagaria | EBC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| | | | | **MD (PHARMACOLOGY)** | | | |
| 38 | 3 | 18230206001 | Jaya Roy | Apr. 25 1982 | Gaya | EBC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| 39 | 5 | 18230201005 | Amresh Kumar | Dec. 15 1978 | Patna | GEN | Tutor, PMCH, Patna |
| 40 | 6 | 17230201003 | Rashmi Kumari | Dec. 19 1981 | Patna | BC | Tutor, GMC, Bettiah |
| 41 | 7 | 18230202004 | Naveen Kumar | Feb. 8 1987 | Muzaffarpur | EBC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 42 | 8 | 18230202002 | Satya Prakash Singh | Aug. 13 1978 | Siwan | GEN | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 43 | 10 | 18230204001 | Aman Kishor | Nov. 14 1986 | Bhagalpur | ST | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 44 | 11 | 18230201001 | Rajesh Kumar | Jan. 2 1979 | Nalanda | EBC | SMO, Indira Gandhi Institute of Cardiology, Patna (IGIC) |
| 45 | 12 | 18230201002 | Anu Shree | Aug. 8 1988 | Patna | BC | Tutor, SKMCH, Muzaffarpur |
| 46 | 17 | 18230203001 | Sanjeev Kumar | Oct. 17 1982 | Bhagalpur | SC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 47 | 18 | 18230201003 | Trishla | Jan. 14 1987 | Patna | BC | Tutor, GMC, Purnia |
| | | | | **MD (FORENSIC MEDICINE)** | | | |
| 48 | 1 | 18219204001 | Ranjay Kr Ranjan | Oct. 5 1978 | Saharsa | BC | Tutor NMCH, Patna |
| 49 | 2 | 18219202001 | Dhirendra Kr. Chaudhary | Jan. 2 1987 | Sitamarhi | SC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 50 | 4 | 18219203001 | Vishwa Jyoti | Jan. 10 1987 | East Champaran | EBC | Tutor, SKMCH, Muzaffarpur |
| 51 | 5 | 18219201001 | Jainendra Kumar | Dec. 25 1979 | Bhagalpur | BC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 52 | 6 | 18219201002 | Praveen Kr. Singh | Dec. 2 1984 | Rohtas | BC | Tutor, VIMS, Pawapuri |
| 53 | 7 | 18219204002 | Sajal Kumar | Jan. 15 1986 | Madhepura | SC | Tutor, ANMMCH, Gaya |
| | | | | **MD (COMMUNITY MEDICINE)** | | | |
| 54 | 2 | 18216204002 | Puja | Feb. 25 1987 | Vaishali | BC | Tutor, PMCH, Patna |
| 55 | 5 | 18216202003 | Pankaj Kumar | Feb. 15 1982 | Khagaria | EBC | Tutor, JLNMCH, Bhagalpur |
| 56 | 6 | 18216201003 | Shiv Shankar Kr. | Mar. 3 1987 | Rohtas | BC | Tutor, NMCH, Patna |
| 57 | 7 | 18216202004 | Sanjay Kumar | Nov. 21 1981 | Samastipur | SC | Tutor, DMCH, Darbhanga |
| 58 | 8 | 18216202007 | Nirmal Kr Mandal | Nov 15 1979 | Supaul | EBC | Tutor, SKMCH, Muzaffarpur |
| 59 | 9 | 18216204001 | Nand Kishore Kr. | May. 20 1980 | Gaya | EBC | EPIDEMOLOGIST, ANMMCH, Gaya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **MD (ANAESTHESIOLOGY)** | | | |
| 60 | 7 | 18211201005 | Rakesh Raushan | Feb. 12 1984 | Patna | SC | SR, ANMMCH, Gaya |
| 61 | 10 | 18211201004 | Prashant Kr. Gupta | Sep. 12 1980 | Madhepura | EBC | SR, ANMMCH, Gaya |
| | | | | **ANAESTHESIOLOGY (D.A)** | | | |
| 62 | 15 | 18250201012 | Deepshikha | Nov. 27 1989 | Patna | Others | SMO, Lok Nayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbanshi Nagar, Patna(LNJP) |
| 63 | 16 | 19250201001 | Alok Kumar | Sep. 7 1984 | Saharsa | EBC | SR, VIMS, Pawapuri |
| 64 | 17 | 19250201005 | Randhir Singh | Jan. 5 1976 | West Champaaran | Gen | Anesthetist, GMC,Bettiah |
| 65 | 18 | 19250201006 | Sunil Kr Bharti | Jul. 13 1983 | Samastipur | SC | SR, GMC, Bettiah |
| 66 | 19 | 19250201002 | Pankaj Kr. Singh | Jun. 5 1990 | Rohtas | BC | SR, GMC, Bettiah |
| 67 | 20 | 19250201008 | Manoj Kumar | May. 9 1973 | Nalanda | BC | ANESTHETIST, JNKTMCH, Madhepura |
| 68 | 21 | 19250201007 | Santosh Kumar | May. 15 1980 | Patna | SC | SR, JNKTMCH, Madhepura |
| | | | | **MS (OTORHINOLARYNGOLOGY)** | | | |
| 69 | 4 | 18241204003 | Sumit | Mar. 21 1983 | Patna | BC | SR, NMCH, Patna |
| 70 | 13 | 18241202003 | Amit Kumar | Dec. 19 1982 | Nawada | BC | SR, DMCH, Darbhanga |
| | | | | **MD (PAEDIATRICS)** | | | |
| 71 | 4 | 18229202003 | PRASHANT Gaurav | Feb. 1 1989 | Nalanda | GEN | SR, VIMS, Pawapuri |
| 72 | 5 | 18229202002 | Pankaj Kumar | Feb. 7 1988 | E. Champaran | GEN | SR, GMC,Bettiah |
| 73 | 10 | 19229202006 | Md. Shamim | Jul. 5 1987 | Saran | EBC | SR, NMCH, Patna |
| 74 | 15 | 18229202005 | Arunabh Kumar | Apr. 5 1988 | Muzaffarpur | GEN | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 75 | 18 | 18229202006 | Arvind Kr. Yadav | Aug. 4 1989 | Darbhanga | BC | SR, DMCH, Darbhanga |
| 76 | 19 | 18229201006 | Nand Kishor Singh | Feb. 14 1991 | Buxar | BC | SR, NMCH, Patna |
| 77 | 22 | 18229202007 | Manish Ranjan | Jan. 8 1984 | Lakhisarai | SC | SR, DMCH, Darbhanga |
| 78 | 23 | 18229201011 | Sumit Kumar | Apr. 26 1992 | Khagaria | EBC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 79 | 27 | 18229203004 | Shakeb Ahmad | Dec. 25 1984 | Purnia | EBC | SMO, SNCU, SH, Araria |
| 80 | 36 | 18229201012 | Atul Shekhar | Feb. 10 1989 | Begusarai | EBC | SR, ANMMCH, Gaya |
| | | | | **PAEDIATRICS[D.C.H.]** | | | |
| 81 | 37 | 19266201005 | Amit Chaubey | Jan. 18 1992 | Patna | GEN | SMO, Indira Gandhi Institute of Cardiology, Patna (IGIC) |
| 82 | 42 | 19266201006 | Pankaj Kumar | Dec. 14 1984 | Nalanda | EBC | SMO, CHC, Hisua. Nawada |
| 83 | 44 | 19266201003 | Vikash Kumar | Feb. 15 1988 | Nalanda | SC | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| 84 | 45 | 19266201009 | Krishna Kumar | Jul. 10 1982 | Mothihari | EBC | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| 85 | 46 | 18266201002 | Rohit Kr Choudhary | Mar. 2 1976 | Supaul | BC | SMO, SNCU, SH, Madhepura Madhopura |
| | | | | **MS (OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)** | | | |
| 86 | 15 | 18249204004 | Priyanka Gahlout | Mar. 18 1993 | Patna | SC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 87 | 18 | 18249202009 | Shilpi Singh | Feb. 20 1992 | Kaimur | GEN | SR, DMCH, Darbhanga |
| 88 | 24 | 18249202003 | Anjali Kumari | Mar. 16 1987 | Saran | EBC | SR, ANMMCH, Gaya |
| 89 | 39 | 18249202007 | Hena Jabin | Jul. 30 1992 | Rohtas | EBC | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| 90 | 41 | 18249202008 | Anjani Kumari | Apr. 21 1983 | Nalanda | SC | SR, DMCH, Darbhanga |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBSTETRICS & GYNAECOLOGY(D.G.O.)** | | | | | | | |
| 91 | 46 | 19261201005 | Anupama Kumari | Jul. 25 1983 | Sheikhpura | GEN | SMO, CHC, Rahui |
| 92 | 48 | 19261201004 | Kumari Pallavi | Feb. 17 1988 | Patna | SC | SMO, SH, Jehanabad |
| 93 | 52 | 19261201003 | Anuj Kumari | Dec. 5 1978 | Jehanabad | EBC | SMO, CHC, Manpura, Gaya |
| 94 | 53 | 19261202007 | Kajal Kishlay | Jul. 3 1992 | Darbhanga | EBC | SMO, RH, Khajechand, Chapra, Chehrakala, Vaishali. |
| 95 | 56 | 19261202010 | Amresh Kumar | Dec. 3 1983 | Aurangabad | EBC | SMO, PHC, Sadar Prakhand, Jahanabad |
| 96 | 57 | 19261202001 | Kalyani Kala | Jan. 1 1979 | Patna | GEN | SMO, CHC, Akbarpur |
| 97 | 58 | 19261202008 | Archana Kumari | Oct. 24 1988 | Lakhisarai | SC | SMO, PHC, Tarapur |
| 98 | 60 | 19261202006 | Kumari Sweta | Mar. 1 1981 | Begusarai | EBC | SMO, SH, Khagaria |
| **MD (GENERAL MEDICINE)** | | | | | | | |
| 99 | 1 | 18220202005 | Ashutosh Kumar | Aug. 19 1990 | Saran | GEN | SR, PMCH, Patna |
| 100 | 14 | 18220202006 | Gautam Kr. Sandilya | Mar. 27 1991 | Muzaffarpur | GEN | SR, PMCH, Patna |
| 101 | 36 | 18220202002 | Md. Shoeb Alam | Feb. 5 1992 | Purnia | EBC | SR, GMC, Purnia |
| 102 | 38 | 18220201016 | Md. Ejaz Alam | Jul. 8 1984 | Darbhanga | EBC | SR, VIMS, Pawapuri |
| 103 | 45 | 18220201013 | Sanjeev Kr. Choudhary | May. 4 1987 | Patna | SC | SR, ANMMCH, Gaya |
| **TROPICAL MEDICINE & HEALTH (D.T.M. & H.)** | | | | | | | |
| 104 | 62 | 19275202007 | Sandip Kr. Jha | Feb. 6 1983 | Madhubani | GEN | SMO, CHC, Ghanshyampur |
| 105 | 63 | 19275202004 | Deepak Kr. Pintu | Nov. 11 1982 | Darbhanga | EBC | SMO, SDH, Phoolparas |
| 106 | 64 | 19275202002 | Absar Alam | Feb. 15 1984 | Khagaria | EBC | SMO, CHC, Baisa, Purnea |
| 107 | 65 | 19275202001 | Alok Kr. Mishra | Nov. 30 1981 | Supaul | GEN | SMO, SDH, Phoolparas |
| 108 | 68 | 19275202006 | Hashim Shah | Feb. 21 1982 | Sitamarahi | EBC | SMO, CHC, Kalyanpur, East Champaran |
| **MD (GENERAL SURGERY)** | | | | | | | |
| 109 | 9 | 18242203005 | Pratyay Amrit | Sep. 13 1993 | Saran | EBC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 110 | 10 | 18242202014 | Rajesh Kumar | Jan. 26 1984 | Gaya | EBC | SR, ANMMCH, Gaya |
| 111 | 12 | 18242202009 | Birendra Kumar | Feb. 8 1988 | Madhubani | BC | SR, JNKTMCH, Madhepura |
| 112 | 13 | 18242203003 | Ranjan Kumar | Jan. 2 1988 | Bhojpur | SC | SR, PMCH, Patna |
| 113 | 19 | 18242201008 | MD AAMIR SOHAIL | Jan. 14 1993 | Patna | EBC | SR, NMCH, Patna |
| 114 | 22 | 18242203004 | Murari Kumar | Aug. 1 1983 | Sheikhpura | BC | SR, PMCH, Patna |
| 115 | 27 | 18242202017 | Chandan Kumar | Jul. 27 1988 | Gopalganj | GEN | SR, PMCH, Patna |
| 116 | 28 | 18242201011 | Kumari Rashmi | Sep. 4 1988 | Patna | EBC | SR, PMCH, Patna |
| 117 | 32 | 18242201010 | Babar Ali | Jun. 25 1992 | Siwan | EBC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 118 | 45 | 18242201015 | Harendra Kumar | Sep. 15 1989 | Siwan | BC | SR, ANMMCH, Gaya |
| 119 | 46 | 18242201002 | Nitish Kumar | Jan. 5 1989 | Nalanda | BC | SR, ANMMCH, Gaya |
| 120 | 49 | 18242201009 | Praveen Kishore | Dec. 5 1985 | Patna | EBC | SR, GMC, Bettiah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **MS(ORTHOPEDICS)** | | | | |
| 121 | 5 | 18244201002 | Raman Kumar | Dec. 15 1988 | Araria | BC | SR, VIMS, Pawapuri |
| 122 | 11 | 18244202002 | Anand Kumar | Dec. 20 1991 | Saran | BC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 123 | 16 | 18244202004 | Shrawan Kr. Yadav | Jan. 18 1983 | Darbhanga | BC | SR, GMC, Bettiah |
| 124 | 17 | 17244202006 | Krishnanand Tirthankar | Jan. 25 1986 | Purnea | GEN | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| | | | **ORTHOPEDICS (D.ORTHO)** | | | | |
| 125 | 19 | 19264201002 | Pappu Kumar | Mar. 5 1985 | Purnia | EBC | SR, LNJP, Patna |
| 126 | 20 | 19264201003 | Parbhat Ranjan | Feb. 26 1986 | Saharsa | BC | SMO, SDH, Naugachiya |
| | | | **MD (RADIO-DIAGNOSIS)** | | | | |
| 127 | 8 | 18234202002 | Manish Kumar | Nov. 14 1991 | Jehanabad | BC | SMO, Lok Nayak Jaiprakash Narayan Hospital, Raj banshi Nagar, Patna (LNJP). |
| | | | **RADIO-DIAGNOSIS (D.M.R.D.)** | | | | |
| 128 | 10 | 19271201003 | Shweta Kumari | Oct. 15 1984 | Madhubani | EBC | SR, PMCH, Patna |
| 129 | 14 | 19271201005 | Ashish Kumar | May. 1 1979 | Aurangabad | SC | SMO, SDH, TEKARI |
| | | | **MS(OPHTHALMOLOGY)** | | | | |
| 130 | 2 | 18243202006 | Priya Ranjan | Jan. 15 1990 | Jehanabad | GEN | SR, DMCH, Darbhanga |
| 131 | 3 | 18243202002 | Deepak Kumar | Jun. 6 1989 | Bhagalpur | BC | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| 132 | 4 | 18243202001 | Gopal Prasad Singh | Feb. 28 1986 | Patna | GEN | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 133 | 12 | 18243201001 | Deepak Kr. Sinha | Feb. 2 1989 | Jehanabad | BC | SR, SKMCH, Muzaffarpur |
| 134 | 15 | 18243201004 | Samir Kumar Lal | Nov. 1 1988 | Patna | SC | SMO, SDH, Bikramganj |
| | | | **OPHTHALMOLOGY(D.O.)** | | | | |
| 135 | 19 | 19263201011 | Kumari Monika Bharti | Jan. 20 1984 | Nalanda | BC | Consultant, Rajendra Nagar Eye Hospital, Patna. |
| 136 | 21 | 19263202001 | Divya Priyadarshani | Feb. 14 1990 | Nalanda | BC | SR, JLNMCH, Bhagalpur |
| 137 | 24 | 19263202003 | Sarfraz Ali | Apr. 8 1979 | Siwan | GEN | SR, GMC, Bettiah |
| 138 | 26 | 19263201005 | Jaykant Kumar | Feb. 5 1985 | Begusarai | BC | Consultant, Rajendra Nagar Eye Hospital, Patna. |

2. विभागीय आदेश संख्या 80(17), दिनांक 23 फरवरी, 2022 के क्रमांक 221 में अंकित डॉ० मिन्टू कुमारी, जिनके द्वारा पी०जी० बॉण्ड फार्म भरते समय बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का चिकित्सक होने का उल्लेख नहीं किया गया था, का विभागीय आदेश सं० 80(17), दिनांक 23 फरवरी, 2022 द्वारा किये गये उनके पदस्थापन/संस्थान आवंटन के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

3. संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख स्तंभ 8 में अंकित पदस्थापन संस्थान में तुरंत अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

4. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तौर पर पूर्व से प्राप्त हो रहे वेतन एवं अनुमान्य भत्ते उक्त पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

5. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन राज्य में तीन वर्षों के अनिवार्य सेवा दिये जाने के शर्त पर किया जा रहा है। अतः इस बीच इनके त्याग-पत्र संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधिसूचित पदाधिकारी के नाम अथवा उनके पदस्थापन संस्थान संबंधी वर्तनी में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी पदस्थापित संस्थान में प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा।

7. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थान के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक अवक्रमित समझी जायेगी।

8. उक्त पदस्थापित चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक जिनका निधन हो चुका है, के संबंध में उक्त पदस्थापन मान्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,<br>
शैलेश कुमार,<br>
सरकार के उप-सचिव।

**परिशिष्ट–VII**

सं० 12/प०-क्यू०-4-18-2022-1124 (12)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

--------

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय श्री सिद्धार्थ सौरव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 4 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० द-89 के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 298/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स० 14/2022 298 वि०स०, पटना दिनांक 19 अप्रील, 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री सिद्धार्थ सौरव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 4 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० द 89 के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 298/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मामले में मृतका लालसा देवी, पति राजू शर्मा, नौबतपुर, पटना एवं मृतक काशीनाथ, नौबतपुर पटना को 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रु०) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। (जिला पदाधिकारी, पटना का पत्रांक 2182, दिनांक 28 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्न)।

स्व० अजीत कुमार की मृत्यु राज्य से बाहर हिसार (हरियाणा) में होने के कारण उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विभागीय पत्रांक 164(11), दिनांक 3 मार्च, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 298/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
आनन्द प्रकाश
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

## परिशिष्ट–VIII

सं० 04/क्यू०-1-01-2022-1459 (4)
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

--------

प्रेषक

डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 (ई०)।

विषय– माननीय श्री गोपाल रविदास स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 557 (द-08) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 318/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय श्री गोपाल रविदास स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 557 (द-08) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 318/22 के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित लिपिकों का निम्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण कर दिया गया है :–

| क्रम सं० | कर्मी का नाम एवं पदनाम। | पूर्व में पदस्थापित संस्थान | नव पदस्थापित संस्थान | सिविल सर्जन, पटना का पत्रांक/दिनांक। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अमित कुमार मिश्रा, लिपिक | कार्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना। | गर्दनीबाग अस्पताल, पटना | 8783/22 जून, 2022 |
| 2 | श्री सिद्धार्थ सिन्हा लिपिक | कार्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना। | औषधि निरीक्षक, कार्यालय न्यू गार्डिनर रोड, अतिविशिष्ट अस्पताल परिसर, पटना। | 8783/22 जून, 2022 |
| 3 | श्री नागेन्द्र कुमार लिपिक | कार्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना। | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना। | 8783/22 जून, 2022 |
| 4 | श्री कौशलेन्द्र कुमार लिपिक | कार्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना। | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दानापुर, पटना | 8766/22 जून, 2022 |
| 5 | श्री आदित्य ज्योति श्रीवास्तव, लिपिक | कार्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना। | सिविल सर्जन कार्यालय, पटना | 8316/17 जून, 2022 |

वर्णित स्थिति में माननीय श्री गोपाल रविदास स०वि०स० की मांग पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन मानते हुये सरकारी आश्वासन सं० 318/22 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

**परिशिष्ट–IX**

सं० 06/एन०-10-04-2022-618 (6)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य निदेशालय

-------

प्रेषक

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 08 जुलाई, 2022 (ई०)।

विषय श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 112 (1567) के सन्निहित आश्वासन सं० 338/22 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ए०एन०एम० स्कूल, बनमनखी, पूर्णियाँ को 30 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है। संस्थान में शैक्षणिक कार्य हेतु तीन नियमित ट्यूटर पदस्थापित हैं तथा विभागीय पत्रांक संख्या 1218(6), दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 द्वारा गैर-शैक्षणिक कार्य हेतु एक लिपिक तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सत्र 2020 22 में 30 सीटों के विरुद्ध 20 छात्रों तथा सत्र 2021/23 में 27 छात्राओं का नामांकन किया जा चुका है तथा संस्थान में पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित है।

विभागीय पत्रांक संख्या 168(6), दिनांक 25 फरवरी, 2022 द्वारा दिया गया सरकारी आश्वासन कार्यान्वित किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि इसे आश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता,

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

**परिशिष्ट–X**

सं० 16/क्यू०-01-04/2022-786 (आ०चि०)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
राजकीय आश्वासन समिति ।

पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय--श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1541, द-67 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 822/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग भवदीय पत्रांक 822, दिनांक 23 जून, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1541 (द-67) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 822/22 का विषय संविदागत आयुष चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित है।

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 1216(आ०चि०), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सकों का मानदेय 65,000 रु० प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में आश्वासन संख्या 822/22 को विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,
रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 16/सी 1-68/2022-1216 (आ०चि०)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

28 अक्टूबर, 2022

स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 1577(आ०चि०)/दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 द्वारा राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) का मानदेय 44,000 (चौवालिस हजार) प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। संविदागत आयुष चिकित्सकों का मानदेय संविदागत एलोपैथ चिकित्सकों के समान करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) का मानदेय एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों के समान पुनरीक्षित किया जाता है

| पदनाम | पूर्व से निर्धारित मानदेय | परिवर्द्धित दर पर मानदेय |
|---|---|---|
| एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के० के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक। | 44000 (चौवालिस हजार) प्रतिमाह | 65000 (पैंसठ हजार) प्रतिमाह |

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,<br>
राम ईश्वर,<br>
सरकार के अपर सचिव,<br>
सह-महानिदेशक, आयुष।

## परिशिष्ट–XI

सं० 15/औ०-19-03/2022-241 (खाद्य)

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक

रवीन्द्र नाथ उपाध्याय,
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के ध्यानाकर्षण प्रश्न संख्या 05/22 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 908/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के ध्यानाकर्षण प्रश्न संख्या 05/22 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 908/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नरूपेण है:-

वस्तुस्थिति यह है कि सरकार जन-जन तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि से राज्य सरकार द्वारा संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना अन्तर्गत लगभग पाँच करोड़ सरसठ लाख रुपये की राशि से तीन उच्चस्तरीय पटना उपकरणों यथा गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री (GCMS-MS), लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री (LCMS-MS) & इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री (ICP-MS), का अधिष्ठापन कराया गया है। शेष राशि लगभग एक करोड़ नवासी लाख मानव बल पर खर्च हेतु एवं लगभग एक करोड़ छब्बीस लाख उच्चस्तरीय मशीनों के रख रखाव हेतु उपलब्ध कराया गया है।

GC-MSMS की सहायता से खाद्य पदार्थों में पेस्टीसाईड्स व वसा की मात्रा, LC-MSMS की सहायता से खाद्य पदार्थों में एन्टीबॉयोटिक, माइक्रोटॉक्सिन, रंजक, इत्यादि की मात्रा तथा ICP-MS के सहायता से खाद्य पदार्थों में लेड, कैडमियम, इत्यादि जैसे भारी धातुओं की जाँच की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त उपकरणों के सफल संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। उक्त उपकरणों के संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप भवन के आधारभूत संरचना में सुधार, भवन का जीर्णोद्धार, प्रयोगशाला परिसर में उच्च क्षमता के ट्रांसफॉमर का अधिष्ठापन भी कराया गया है। उक्त उपकरणों के संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप अनुभव प्राप्त तकनीकी मानवबलों की व्यवस्था भी की जा चुकी है।

गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री (GCMS-MS) & इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री (ICP-MS) को संचालित किया जा चुका है। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी।

विश्वासभाजन,
रवीन्द्र नाथ उपाध्याय,
सरकार के अवर-सचिव,

**परिशिष्ट–XII**

सं० 04/क्यू०-1-14-2022-1831 (4)

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,**

प्रेषक

डॉ० निहारिका शरण,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 (ई०)।

विषय मानीय श्री (डॉ०) संजीव कुमार, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 3182 (द-247) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 1565/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय श्री (डॉ०) संजीव कुमार, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 3182 (द 247) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 1565/22 के संबंध में कहना है कि एल०पी०ए० संख्या 296/2021 सुरजीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं इसके साथ संबद्ध अन्य एल०पी०ए० में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 1015(4), दिनांक 12 जुलाई, 2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि Distance/Vocational Mode से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त DMLT डिग्रीधारक प्रयोगशाला प्रावैधिक को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के माध्यम से नियुक्ति व चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अत: "राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन०आई०ओ०एस०) के माध्यम से डी०एम०एल०टी० के दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम को राज्य सरकार की सेवा में मान्यता दी जा सकती है ।"

वर्णित स्थिति में माननीय श्री (डॉ०) संजीव कुमार स०वि०स० की माँग पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन मानते हुये सरकारी आश्वासन सं० 1565/22 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

डॉ० निहारिका शरण,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

**परिशिष्ट–XIII**

सं० 16/क्यू०-01-24/2022-784 (आ०चि०)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

उप-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 397, (द-47) पर सरकारी उत्तर में संनिहित आश्वासन सं० 2690/22 के संबंध में ।

प्रसंग बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक रा०आ०स०-04/23-2690, दिनांक 17 अप्रैल, 2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आश्वासन संख्या 2690/2022 में संनिहित आश्वासन जो बेगूसराय स्थित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं नामांकन पर लगी रोक को हटाने से संबंधित है में कहना कि कई शिक्षकों का पदस्थापन बेगूसराय में किया गया है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक Ref No. 26 10/MARB/2022-College, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 द्वारा नामांकन की सशर्त अनुमति मिल चुकी है(छायाप्रति संलग्न)। वर्तमान में कोई रोक नहीं है। उच्चतर संकाय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई चल रही है।

आश्वासन सं० 2690/22 में सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की गयी है।

अतः आश्वासन सं० 2690/22 को स्वास्थ्य विभाग के लंबित आश्वासनों की सूची से विलोपित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी-ब्लॉक, नई दिल्ली-110058
**National Commission for Indian System of Medicine**
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office 61-65, INSTITUTIONAL AREA, JANAKPURI, D-BLOCK, NEW DELHI -110058

क्रमांक/Ref. No. 26-10/MARB/2022- College

To,

The Principal,
RAJKIYA AYODHYA SHIVKUMAR AYURVED COLLEGE & HOSPITAL,
LOHIYANAGR, P.O. SUHIRDNAGAR,
DIST. Begusarai-851218,
Bihar
E-mail ID:-gasay.1946college@gmail.com

Dated : 27th December, 2022.

Subject:—Grant of conditional permission to Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved College & Hospital, Lohiyanagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist.-Begusarai-851218, Bihar (Inst.ID:-AYU0011) with intake capacity of 30 seats (38 Including EWS)in UG (BAMS) course under section 28 of the NCISM Act, 2020 for the academic session 2022-23 and relevant regulations thereunder in respect of appeal dated 06.12.2022-regarding.

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above, I am directed to inform you that in pursuance of the provision of National commission for Indian System of Medicine Act, 2020, the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been repealed with effect from the 11th day of June, 2021. With effect from the said date, the Central Council of Indian Medicine Constituted under sub-division (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) shall stand dissolved. Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 1 of the said Act, the Central Government hereby notifies that all the provisions of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 has come into force with effect from the 11th day of June, 2021.

This is with reference to the first appeal filed by the Principal, Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved college & Hospital, Lohiyanagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist.-Begusarai-851218, Bihar (Inst.ID:-AYU0011) vide letter ref. no. म०म०.16/ए०03.03/2020-1342dated 25.11.2022 to the commission in respect of denial of conditional Permission issued to Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved college & Hospital, Lohiyanagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist.-Begusarai-851218, Bihar (Inst.ID:-AYU0011) with intake capacity of 30 seats (38 including EWS) in UG (BAMS) course due to non fulfillment of the basic eligibility criteria in terms of Regulation 3 of the "Indain Medicine Central Council (Requirements of minimum Standrad for under-graduate Ayurveda colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016" and provisions under the NCICM Act, 2020 and relevant regulations thereunder due to non availability of teaching, non teaching staff, hospital staff and other shortcoming as mentined in denial order vide ref. no. 26-10/MARB/2022-COLLEGE dated 09.11.2022.

1. Thereafter the said appeal was placed before the Chairman, NCISM and Chairman NCISM constituted a Hearing Committee and provided an opportunity of hearing to the college. Accordingly, the letter

was sent to The Secretary, Govt. of Bihar vide commission letter no. NCISM/Comm./Appeal/(2022-23) Bihar dated 22.12.2022 to appear before the designated hearing committee as constituted by the Chairman, NCISM on 23.12.2022 in respect of appeal filed under section 10(1)(g) and section 24(3) of the National commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and to produce all relevnat vaild documents/records/ proof to substantiate the claims and make written submission and submit an authenticated copy of evidence/verifications to commission with shortcoming wise clarifiations mentioned in the denail order dated 09.11.2022 passed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, NCISM. The proceedings of appeal was held virtually on 23.12.2022 at 12.00 Noon and on behalf of college the K. Senthil Kumar, Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar and Principal Dr. R.S. Tripathi of 03 Govt. College of Bihar, attended the hearing.

2. The hearing committee sought clarification from the representatives of college regarding shortcomings mentioned in the dentail order dated 09.11.2022 passed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, NCISM.

3. The submission made by Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar and Principal Dr. R.S. Tripathi of 03 Govt. Colleges of Bihar was placed before the designated hearing committee and hearing committee sought clarification regarding the shortcomings mentioned in the denial order regarding shortage of higher faculty, non availability of non teaching staff, patient strength, bed occupancy and also asked the representative of the college to send an affidavit mentioning about the assurance for fulfillment of shortcoming mentioned in the denial order and to submit the duly signed affidavit by the appointing authority regarding their assurance in respect of fulfillment of all requisite mentioned in the denial order dated 09.11.2022.

4. In responce of the same, The Principal of the concerned college submitted an Affidavit bearing no. 16/A3-03/2020-1437 (Acti) dated 23.12.2022 countersigned by the Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar vide letter no. 16/A3-03/2020-1437(Aacti) dated 23.12.2022 regarding the compliance of the fulfillment of the shortcomings with regards to Non-Availability of Teaching, Non-Teaching, and other shortcomings mentioned in the denial order issued to The Principal, Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved college & Hospital, Lohiyanagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist.-Begusarai-851218, Bihar (Inst ID:-AYU0011) also affirms that they will appoint new Teaching, Non-Teaching, Higher Faculty within stipulated time period i.e. 31.12.2022.

5. Further, on the basis fo due course of hearing and submission of documents hearing committee recommend to consider the appeal of The Principal, Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved college & Hospital, Lohiyanagar, P.O.-Suhirdnagar, Dist.-Begusarai-851218, Bihar (Inst.ID: AYU0011) with intake capacity of 30 seats (38 including EWS) in UG (BAMS) Course and recommendation of the Hearing Committee was placed before the Chairman, NCISM and on the basis of the affidavit bearing no. 16/A3-03/2020-1437(Aacti), dated 23.12.2022 submitted by The Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar, the Chairman, NCISM directed to the President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine NCISM.

**परिशिष्ट–XIV**

सं० 17/क्यू०-1-32/2019-803 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

उप-सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय,

राजकीय आश्वासन समिति, पटना।

पटना, दिनांक 16 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय- श्री डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 444, (द-41) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 2713/22 के संबंध में ।

प्रसंग- आपका पत्रांक रा०आ०स० 04/23-2713/वि०स०, दिनांक 17 अप्रील, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के कतिपय चिकित्सक शिक्षक जो राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर भी काबिज थे, उन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 220(17), दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर पदस्थापित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे, का आदेश निर्गत है। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 17/विविध 02-07/2014-220 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

02 मार्च, 2023

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के कतिपय चिकित्सक शिक्षक राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में भी है।

2. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर काबिज नहीं होंगे।

3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के उक्त दिशा-निर्देश पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

4. अतः उपर्युक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 1152 (17), दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 द्वारा संसूचित निर्देश तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के शिक्षण प्रात्रता योग्यता द्वारा विभागाध्यक्ष का चयन हेतु विहित प्रावधान/दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
सचिव।

**परिशिष्ट–XV**

सं० 16/क्यू०-01-23/2022-874 (आ०चि०)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 (ई०)।

विषय कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग पत्रांक 2724, दिनांक 17 अप्रील, 2023 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य के 12 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारियों के पद सृजन एवं रिक्त 10 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में श्री बीरेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 431(द 32) पूछा गया था, जो वर्तमान में आश्वासन संख्या 2724/22 है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के 38 जिलों में से मात्र 26 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित है। शेष 12 नवसृजित जिलों यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विभागीय अधिसूचना संख्या 610 (आ०चि०), दिनांक 27 जून, 2023 द्वारा रिक्त जिला देशी चिकित्सा पदाधिकरी के पद पर वरीयता के अनुसार आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन संख्या 2724/22 को विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग,

## अधिसूचना

27 जून, 2023

सं०-16/टी०1-01-2021/610 (आ०चि०)/स्वा०-स्वास्थ्य विभाग, के अन्तर्गत आयुष प्रक्षेत्र के निम्नांकित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को वरीयता के अनुसार कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतन में वेतनमान में स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सामने कॉलम '5' में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :--

| क्र० सं० | नाम एवं पदनाम | गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन स्थान | नव पदस्थापित पद एवं स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | डॉ० अंजुम अख्तर, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा। | मुजफ्फरपुर | जिला संयुक्त औषधालय, मधेपुरा। | उप-निदेशक, होमियोपैथिक, आयुष निदेशालय, पटना। |
| 2 | डॉ० अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा। | मुजफ्फरपुर | जिला संयुक्त औषधालय, दरभंगा। | उपाधीक्षक, राजकीय दस शैय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल, पटना। |
| 3 | डॉ० शिवकुमार झा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | समस्तीपुर | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बरियारपुर, मुजफ्फरपुर। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय। |
| 4 | डॉ० आशनारायण राय, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | रोहतास | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, देवकुण्ड (CHC बारूण), औरंगाबाद। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार। |
| 5 | डॉ० शोभा झा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | बेगूसराय | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, उच्चैठ, मधुबनी। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी। |
| 6 | डॉ० अनिल कुमार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | देवरिया | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मल्हीपुर, रोहतास। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी। |
| 7 | डॉ० ललन राम, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | रोहतास | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, देव, औरंगाबाद। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी सारण। |
| 8 | डॉ० सुरेश राम, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। | पटना | राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, देवरिया, पटना। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णियाँ। |
| 9 | डॉ० योगेन्द्र राम, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी। | गोपालगंज | जिला संयुक्त औषधालय, गोपालगंज। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी सिवान। |
| 10 | डॉ० हरेन्द्र कुमार लाल दास, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी। | मधुबनी | जिला संयुक्त औषधालय, मधुबनी। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा। |
| 11 | डॉ० राम सुन्दर ठाकुर, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी। | दरभंगा | अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, बालाकोठी नोनीमल, मेहसी, मोतिहारी। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा। |
| 12 | डॉ० प्रभात कुमार सिंह, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी। | सारण | राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, मस्तीचक, सारण। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया। |
| 13 | डॉ० विनोद सिंह, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी। | बक्सर | राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, कंचनपुर, पटना। | जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर। |

# परिशिष्ट–XVI

सं०-17/क्यू०-01-08/2023-1050 (17)

**बिहार सरकार**

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

उप-सचिव,

राजकीय आश्वासन समिति, बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री अली अशरफ सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या 673, (द 97) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 351/23 के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री अली अशरफ सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या 673 (द 97) के क्रम में सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 351/23, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के संबंध में कहना है कि इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठनोपरान्त नियमावली में अंकित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 561(17), दिनांक 31 मई, 2023 सह शुद्धि पत्र संख्या 574(17), दिनांक 5 जून, 2023 द्वारा डॉ० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना सम्प्रति कार्यकारी निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की जा चुकी है।

अतएव वर्णित स्थिति में श्री अली अशरफ सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या 673 (द 97) के क्रम में सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 351/23, को लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

बि०स०मु० 28 (एल०ए०) - 2025-26 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026